रजिस्ट्री सं० डी०-221 REGISTERED NO. D-221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 2 - अनुभाग 3क
PART II - SECTION 3A
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, बुधवार, 18 सितम्बर, 2013/27 भाद्रपद, 1935 (शक) [खण्ड XLIV
No. 1] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER, 18, 2013/BHADRAPADA, 27, 1935 (SAKA) [Vol. XLIV

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

राजभाषा खंड

नई दिल्ली, बुधवार, 18 सितम्बर, 2013/27 भाद्रपद, 1935 (शक)

दि अंडमान एंड निकोबार आइलेंडस् (ट्राइबल कोउंसिल्स) रेग्युलेशन, 2009 का हिन्दी अनुवाद, राष्ट्रपति के प्राधिकार से, प्रकाशित किया जाता है और राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन, यह हिन्दी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा :—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

OFFICIAL LANGUAGES WING

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER, 18, 2013/BHADRAPADA, 27, 1935 (SAKA)

The translation in Hindi of the Andaman and Nicobar Islands (Tribal Councils) Regulation, 2009 is hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi under clause *(b)* of sub-section *(1)* of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963) :—

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

अंदमान और निकोबार द्वीप (जनजातीय परिषद्) विनियम, 2009

(2009 का विनियम संख्यांक 1)

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित।

अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्यक्षेत्र के निकोबार जिले में निकोबारी अनुसूचित जनजातियों को उनके क्रियाकलापों की व्यवस्था करने में बृहत्तर स्वायत्तता उपलब्ध कराने के लिए जनजातीय परिषदों की स्थापना करने तथा उनसे संबंधित विषयों के लिए

विनियम

राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम को प्रख्यापित करती हैं :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम अंदमान और निकोबार द्वीप (जनजातीय परिषद्) विनियम, 2009 है।

(2) इसका विस्तार, अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्यक्षेत्र में, उन क्षेत्रों के सिवाय जिन पर अंदमान और निकोबार द्वीप (पंचायत) विनियम, 1994 का विस्तार है, निकोबारी जिले (शोंपेन परिनिर्धारण क्षेत्रों को छोड़कर) और निकोबार परिनिर्धारण क्षेत्रों पर है।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं—इस विनियम में, जब तक इस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;

(ख) "सहायक आयुक्त" से अंदमान और निकोबार द्वीप प्रशासन के अधीन संबंधित उपखंडों में तैनात सहायक आयुक्त अभिप्रेत है और जिसमें निकोबार जिले का उपखंड मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना का परियोजना अधिकारी सम्मिलित होगा;

(ग) "भवन" में कोई गृह, अतिथि-गृह, घुड़साल, शौचालय, मूत्रालय, शेड, झौंपड़ी, दीवार, (चारदीवारी से भिन्न जिसकी ऊंचाई आठ फुट से अनधिक है) और कोई अन्य संरचना चाहे वह पक्की चिनाई, इटें, काष्ठ, धातु या कोई अन्य सामग्री का है, सम्मिलित है किंतु इसमें किसी समारोह या पर्व के अवसरों पर या किसी टैंट पर परिनिर्मित कोई अस्थायी संरचना सम्मिलित नहीं है;

(घ) "मुख्य कप्तान" से धारा 53 की उपधारा (2) के अधीन निर्वाचित किसी द्वीप परिषद् का मुख्य कप्तान अभिप्रेत है ;

(ङ) "उप मुख्य कप्तान" से धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन निर्वाचित किसी द्वीप परिषद् का उप मुख्य कप्तान अभिप्रेत है ;

(च) "उपायुक्त" से निकोबार जिले का उपायुक्त अभिप्रेत है ;

(छ) "जिला" से इस विनियम के लिए निकोबार का जिला (शोंपेन परिनिर्धारण क्षेत्रों को छोड़कर) अभिप्रेत है जिसमें अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्यक्षेत्र में निकोबारी परिनिर्धारण क्षेत्र सम्मिलित हैं;

(ज) "जिला न्यायाधीश" अंदमान और निकोबार द्वीप का जिला न्यायाधीश अभिप्रेत है;

(झ) "निर्वाचन आयोग" से धारा 94 में निर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्र का निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है;

(ञ) "निर्वाचन आयुक्त" से धारा 94 में निर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्र का निर्वाचन आयुक्त अभिप्रेत है ;

(ट) "प्रथम कप्तान" से धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन निर्वाचित किसी ग्राम परिषद् का प्रथम कप्तान अभिप्रेत है ;

(ठ) "द्वीप" से अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्यक्षेत्र में ऐसा स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे प्रशासक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कोई द्वीप घोषित करे ;

(ड) "द्वीप परिषद्" से धारा 52 के अधीन किसी द्वीप के लिए गठित द्वीप परिषद् अभिप्रेत है ;

(ढ) "भूमि" से भू-सतह का कोई भाग अभिप्रेत है चाहे वह जल के नीचे हो या नहीं और इसमें ऐसे भागों से जुड़ी

हुई या जुड़ी हुई किसी चीज से स्थायी रूप से लगी हुई सभी चीजें सम्मिलित हैं;

(ण) "राजपत्र" से अंदमान और निकोबार द्वीप का राजपत्र अभिप्रेत है;

(त) "जनसंख्या" से ऐसी जनसंख्या अभिप्रेत है जो अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई है जिसके लिए सुसंगत आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं;

(थ) "विहित" से इस विनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(द) "लोक पथ" से ऐसा पथ, सड़क. गली, चौक, दालान, वीथि, गाड़ी मार्ग, पैदल मार्ग या सवारी मार्ग अभिप्रेत है जिस पर जनता को मार्ग का कोई अधिकार है चाहे वह सार्वजनिक मार्ग हो या नहीं और उसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं;

(i) किसी सार्वजनिक पुल या सेतु मार्ग पर सड़क मार्ग;

(ii) किसी सार्वजनिक पुल या सेतु मार्ग पर पैदल मार्ग; और

(iii) किसी ऐसी गली, सड़क, सार्वजनिक पुल या सेतु मार्ग से लगी हुई नालियां और ऐसी भूमि जो संलग्न संपत्ति की सीमाओं तक सड़क मार्ग के दोनों ओर है ;

(ध) "द्वितीय कप्तान" से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन निर्वाचित किसी ग्राम परिषद् का द्वितीय कप्तान अभिप्रेत हैं:

(न) "सचिव जनजातीय कल्याण" से अंदमान और निकोबार द्वीप प्रशासन में जनजातीय कल्याण का भारसाधक सचिव और विशेष सचिव सहित अभिप्रेत हैं;

(प) "अनुसूची" से इस विनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(फ) "धारा" से इस विनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ब) "कर" से इस विनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कोई कर, उपकर, उपशुल्क या अन्य महसूल अभिप्रेत है;

(भ) "संघ राज्यक्षेत्र" से अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है;

(म) "ग्राम" से जिले में प्रशासक द्वारा लोक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट इस विनियम के प्रयोजनों के लिए कोई ग्राम अभिप्रेत है और इसमें ऐसा विनिर्दिष्ट ग्रामों का एक समूह सम्मिलित है;

(य) "ग्राम परिषद्" से धारा 11 के अधीन गठित कोई ग्राम परिषद् अभिप्रेत है।

अध्याय 2

ग्राम साधारण निकाय

3. ग्राम साधारण निकाय का गठन—प्रशासक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 2 के खंड (म) के अधीन अधिसूचित प्रत्येक ग्राम या ग्रामों के समूह के लिए ऐसे नाम से ज्ञात जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, एक ग्राम साधारण निकाय गठित करेगा।

4. ग्राम साधारण निकाय की संरचना—किसी ग्राम साधारण निकाय में, किसी ग्राम परिषद् के क्षेत्र के भीतर उस ग्राम या ग्रामों के समूह से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत निकोबारी जनजातियां होगी :

परंतु कोई निकोबारी जनजाति का व्यक्ति, ग्राम साधारण निकाय का सदस्य होने से निरर्हित होगा यदि वह—

(क) भारत का नागरिक नहीं है ;

(ख) अठारह वर्ष की आयु से कम का है ;

(ग) विकृतचित्त है और उसको सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है ; और

(घ) ऐसे ग्राम के भीतर साधारण तौर पर निवासी नहीं है, जिसके लिए ग्राम साधारण निकाय गठित किया गया है।

स्पष्टीकरण—इस विनियम के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को किसी ग्राम में साधारण तौर पर निवासी समझा जाएगा यदि वह ऐसे ग्राम में साधारण तौर पर निवास कर रहा है या उसके कब्जे में उपजीविका के लिए तैयार कोई आवास-गृह है।

5. ग्राम साधारण निकाय का निगमन—प्रत्येक ग्राम साधारण निकाय, शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला निगमित निकाय होगा और जिसको इस विनियम द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित निर्बंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जंगम और स्थावर दोनों, संपत्ति का अर्जन, धारण, प्रशासन और अंतरण करने और कोई संविदा करने की शक्ति होगी तथा वह उक्त नाम से वाद लाएगा या उस पर वाद लाया जाएगा :

परंतु ग्राम साधारण निकाय की शक्तियों और कर्तव्यों का इस विनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय, धारा 11 के अधीन गठित ग्राम परिषद् द्वारा प्रयोग, पालन और निर्वहन किया जाएगा।

6. ग्राम साधारण निकाय के क्षेत्र में परिवर्तन—(1) प्रशासक, संबंधित ग्राम साधारण निकाय या ग्राम साधारण निकायों के परामर्श से किसी समय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,—

(क) किसी ग्राम में कोई क्षेत्र सम्मिलित कर सकेगा ;

(ख) किसी ग्राम से किसी क्षेत्र को अपवर्जित कर सकेगा; या

(ग) यह घोषणा कर सकेगा कि कोई स्थानीय क्षेत्र किसी ग्राम में नहीं रहेगा।

(2) जहां, किसी क्षेत्र को, उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार सम्मिलित किया गया है वहां ऐसा क्षेत्र, इस विनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन बनाए गए सभी नियमों, उपविधियों, अधिसुचनाओं और आदेशों के अधीन रहते हुए, ग्राम साधारण निकाय की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्र में होगा।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन—

(क) ग्राम का संपूर्ण क्षेत्र जो कोई ग्राम नहीं रहता है वहां ग्राम साधारण निकाय नहीं रहेगा और उसकी आस्तियों और दायित्वों का ऐसी रीति से, जो विहित की जाए व्ययन किया जाएगा ;

(ख) किसी ग्राम के क्षेत्र का कोई भाग जो उस ग्राम का भाग नहीं रहता है, वहां ग्राम साधारण निकाय की अधिकारिता उस सीमा तक कम हो जाएगी।

7. सदस्यता की समाप्ति—(1) किसी ग्राम साधारण निकाय का कोई सदस्य नहीं रहेगा, यदि—

(क) वह धारा 4 के अधीन निरर्हित है;

(ख) ऐसा क्षेत्र, जहां वह निवास करता है, ग्राम साधारण निकाय की अधिकारिता से अपवर्जित हो गया है।

(2) जहां कोई व्यक्ति, धारा 4 के अधीन किसी ग्राम साधारण निकाय का सदस्य नहीं रहता है, वहां, वह किसी ऐसे पद को भी धारण नहीं करेगा, जिसके लिए वह उसका सदस्य होने के कारण निर्वाचित हुआ है या नियुक्त किया गया है।

8. **सदस्यों की निर्वाचक नामावली**—ग्राम साधारण निकाय के गठन पर, सहायक आयुक्त, निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन ग्राम साधारण निकाय की अधिकारिता के भीतर साधारण तौर पर निवास करने वाले निकोबारी जनजातियों की एक निर्वाचक नामावली ऐसी रीति से जो विहित की जाए, तैयार कराएगा :

परंतु ऐसी निर्वाचक नामावली में, अन्य बातों के साथ, उन सभी व्यक्तियों के नाम होंगे, जो ग्राम साधारण निकाय के सदस्य होने के लिए उसके गठन की तारीख को धारा 4 के अधीन निरर्हित नहीं है और किसी वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार उसको ऐसी रीति से जो विहित की जाए, पुनरीक्षित किया जाएगा।

9. ग्राम साधारण निकाय की बैठक—(1) प्रत्येक ग्राम साधारण निकाय, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार, अक्तूबर या नवंबर मास में तथा दूसरी बार अप्रैल या मई मास में साधारण बैठकें करेगा :

परन्तु प्रथम कप्तान, 1/5 से अन्यून सदस्यों द्वारा लिखित में अध्यपेक्षा करने पर, ऐसी अध्यपेक्षा की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ग्राम साधारण निकाय की एक असाधारण आम बैठक बुलाएगा।

(2) प्रथम कप्तान या उसकी अनुपस्थिति में, द्वितीय कप्तान या दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम साधारण निकाय द्वारा चुना गया उसका कोई सदस्य ऐसी बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(3) ग्राम साधारण निकाय की सभी बैठकों के समय और स्थान की सूचना ऐसी रीति से जो विहित की जाए, दी जाएगी।

(4) ग्राम साधारण निकाय के सदस्यों की कुल संख्या के 1/5 से किसी बैठक के लिए गणपूर्ति होगी।

10. साधारण बैठकों में कारबार का संव्यवहार—(1) ग्राम परिषद्, ग्राम साधारण निकाय के समक्ष अप्रैल या मई में अपनी बैठक में,—

(क) वार्षिक लेखा विवरण रखेगी ;

(ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के प्रशासन की रिपोर्ट रखेगी ;

(ग) उस वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित कार्य के विकास और अन्य कार्यक्रम रखेगी ; और

(घ) पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा टिप्पण और उस पर दिए गए उत्तर रखेगी।

(2) ग्राम साधारण निकाय के लिए यह खुला रहेगा कि वह उपधारा (1) के अधीन उसके समक्ष रखे गए किसी या सभी विषयों पर विचार-विमर्श करे तथा ग्राम परिषद्, ग्राम साधारण निकाय द्वारा इस प्रकार के सुझावों, यदि कोई हों, पर विचार करेगी।

(3) ग्राम साधारण निकाय, ऐसे अन्य कृत्य करेगा जो प्रशासक किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अपेक्षित करे।

अध्याय 3

ग्राम परिषद्

11. ग्राम परिषद् का गठन—(1) प्रत्येक ग्राम साधारण निकाय, धारा 3 के अधीन उसके गठन के पश्चात् यथासंभव शीघ्र अपने में से प्रथम कप्तान और ग्राम परिषद् के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचन करेगा।

(2) ग्राम परिषद् में प्रथम कप्तान सहित, पांच से अन्यून और नौ से अनधिक उतनी संख्या में स्थान होंगे जो उपायुक्त अवधारित करें।

(3) किसी ग्राम परिषद् के राज्यक्षेत्रीय क्षेत्र की जनसंख्या और निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले उस परिषद् में स्थानों की संख्या के बीच का अनुपात, यथासाध्य संपूर्ण जिले में समान होगा।

(4) किसी ग्राम परिषद् में स्थानों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अन्यून स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

(5) प्रथम कप्तान के पदों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अन्यून स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

(6) उपधारा (4) और उपधारा (5) के अधीन आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या प्रशासक द्वारा राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा अवधारित की जाएगी ;

परंतु उपधारा (5) के अधीन आरक्षित पदों को निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न ग्राम परिषदों और किसी ग्राम परिषद् में विभिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को ऐसी रीति से जो विहित की जाए, चक्रानुक्रम द्वारा आबंटित किया जाएगा।

12. (1) **मत देने और निर्वाचित होने के लिए सक्षम व्यक्ति**—(1) किसी ग्राम साधारण निकाय का प्रत्येक सदस्य, जब तक धारा 4 के परन्तुक या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निरर्हित न हो, ग्राम परिषद् के किसी निर्वाचन में या ग्राम साधारण निकाय की किसी बैठक में मतदान करने के लिए अर्हित होगा।

(2) किसी ग्राम साधारण निकाय का प्रत्येक सदस्य, जब तक धारा 4 के परन्तुक या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निरर्हित न हो, ग्राम परिषद् में, किसी सदस्य के रूप में या उसके प्रथम कप्तान के रूप में या दोनों के रूप में, किसी स्थान को भरने के लिए निर्वाचित होने के लिए अर्हित होगा:

परंतु जहां कोई व्यक्ति, किसी सदस्य के पद के साथ-साथ प्रथम कप्तान के पद, दोनों के लिए निर्वाचित हो जाता है, वहां वह, राजपत्र में परिणाम के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों की अवधि के भीतर दोनों पदों में से किसी एक पद से त्यागपत्र देगा, जिसमें असफल होने पर, ग्राम परिषद् में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा।

(3) उपधारा (2) के परंतुक के अधीन, इस प्रकार हुई रिक्ति को उस प्रयोजन के लिए उप निर्वाचन कराकर भरा जाएगा।

13. निरहर्ताएं—कोई व्यक्ति, किसी ग्राम परिषद् के किसी सदस्य या उसके प्रथम कप्तान के रूप में चयनित किए जाने के लिए निरर्हित होगा यदि—

(क) वह, ऐसी तारीख से तीन मास के भीतर या उससे पूर्व ग्राम साधारण निकाय को देय किसी कर, फीस या अन्य राशि का, जिसके लिए ऐसा कर, फीस आ अन्य राशि संदत्त की जानी अपेक्षित है, संदाय करने में असफल हो गया है ;

(ख) वह, ग्राम साधारण निकाय या ग्राम परिषद् के अधीन कोई वैतनिक पद या लाभ का पद धारण करता है ;

(ग) उसका ग्राम परिषद् द्वारा या उसके लिए किए गए किसी कार्य में या किसी संविदा में या साधारण ग्राम निकाय या ग्राम परिषद् के साथ या उसके अधीन या उसके द्वारा या उसकी ओर से नियोजन में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत:, कोई अंश या धनीय हित है;

(घ) वह सरकार या किसी नगरपालिका, पंचायती राज्य संस्था या जनजातीय परिषद् का कोई सेवक है ;

(ङ) उसको सरकार या नगरपालिका या पंचायती राज संस्था या जनजातीय परिषद् की सेवा से अवचार के लिए पदच्युत किया गया है ;

(च) उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है;

(छ) उसको दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 109 या धारा 110 के अधीन अच्छे व्यवहार के लिए प्रतिभूति देने के लिए आदेशित किया गया है ;

(ज) उसको हिंसा या नैतिक अधमता से अंतर्वलित किसी अपराध के लिए किसी दंड न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है और तीन मास से अन्यून के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है तथा उसके छूट जाने से पांच वर्ष व्यपगत नहीं हुए हैं ;

(झ) वह ग्राम परिषद् की अनुज्ञा के बिना उसकी लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित है ;

(ञ) वह विकृतचित्त का है और उसको किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है ;

(ट) उसको किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है ;

(ठ) वह, भ्रष्टाचार करने के लिए या किसी निर्वाचन में ऐसी निरर्हता की अवधि के दौरान कोई निर्वाचन अपराध करने के लिए किसी सक्षम न्यायालय द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निरर्हित हो गया है ;

(ड) वह, खंड (च) के अधीन रहते हुए, लोक सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित है।

14. निरर्हता के बारे में प्रश्नों का विनिश्चय—यदि, कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई व्यक्ति धारा 4, धारा 7 या धारा 13 में निर्दिष्ट किसी निरर्हता के अंतर्गत आ गया है, तो उसे उपायुक्त को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा:

परंतु किसी ऐसे प्रश्न पर कोई विनिश्चय देने से पूर्व उपायुक्त, निर्वाचन आयोग की राय अभिप्राप्त करेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।

15. द्वितीय कप्तान का निर्वाचन—(1) इस विनियम के अधीन प्रथम बार किसी ग्राम परिषद् के गठन पर या किसी ग्राम परिषद् की कालावधि के अवसान पर या उसके पुनर्गठन पर, सहायक आयुक्त, द्वितीय कप्तान के निर्वाचन के लिए बैठक बुलाएगा, जो ग्राम परिषद् के निर्वाचित सदस्यों में से उसका निर्वाचन करेगी।

(2) निर्वाचन, संबंधित सहायक आयुक्त के प्रत्यक्ष अधीक्षण के अधीन संचालित किया जाएगा।

(3) बैठक की अध्यक्षता ग्राम परिषद् का प्रथम कप्तान करेगा जिसको मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(4) द्वितीय कप्तान के निर्वाचन से भिन्न कोई कारबार ऐसी बैठक में नहीं किया जाएगा।

(5) मतों के बराबर होने की दशा में, निर्वाचन के परिणाम, सहायक आयुक्त द्वारा ऐसी रीति से जो अवधारित की जाए पर्ची डालकर विनिश्चित किया जाएगा।

16. प्रथम कप्तान द्वारा कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग करना—ग्राम परिषद् की कार्यपालक शक्तियां, इस विनियम के अधीन ग्राम परिषद् पर अधिरोपित कर्तव्यों के पालन का उत्तरदायित्व और ग्राम परिषद् के संकल्पों को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व, प्रथम कप्तान में निहित होगा।

17. ग्राम परिषदों की कालावधि—(1) ग्राम परिषद्, जब तक तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विघटित नहीं की जाती है तब तक उसकी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष के लिए बनी रहेगी और उसके पश्चात् नहीं।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए, भी, इस विनियम के प्रवृत्त होने से ठीक पूर्व किसी परिषद् या ग्राम जनजातीय रुढ़ियों के अधीन कार्य कर रहे निकाय के सदस्य, धारा 11 के अधीन ग्राम परिषद् के निर्वाचन की तारीख से अस्तित्व में नहीं रहेंगे।

(3) किसी ग्राम परिषद् के गठन का निर्वाचन,—

(क) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उसकी कालावधि के अवसान से पूर्व पूरा किया जाएगा ; या

(ख) उसके विघटन की तारीख से छह मास की अवधि के अवसान से पूर्व पूरा किया जाएगा :

परंतु जहां शेष अवधि जिसके लिए विघटित ग्राम परिषद् बनी रहती, छह मास से कम है, वहां ऐसी शेष अवधि के लिए ग्राम परिषद् के गठन के लिए इस उपधारा के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

(4) किसी ग्राम परिषद् के विघटन पर उसकी कालावधि के अवसान से पूर्व गठित कोई ग्राम परिषद् केवल उस शेष अवधि के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित ग्राम परिषद्, उपधारा (1) के अधीन बनी रहती यदि यह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती।

18. पद की शपथ—(1) ग्राम परिषद् की प्रथम बैठक के यथाशीघ्र, पश्चात् उसका प्रत्येक सदस्य जिसमें प्रथम कप्तान और द्वितीय कप्तान सम्मिलित हैं, प्रथम अनुसूची में उपवर्णित प्ररूप में सहायक आयुक्त के समक्ष पद की शपथ लेगा।

(2) ऐसा कोई सदस्य जिसने ऐसी शपथ नहीं ली है, न तो किसी बैठक में मतदान करेगा या न उसकी कार्यवाहियों में भाग लेगा और न ही उसको ग्राम परिषद् द्वारा गठित किसी समिति के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।

19. पदत्याग—(1) किसी ग्राम परिषद् का कोई सदस्य, प्रथम कप्तान को इस प्रभाव की लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्यागपत्र, प्रथम कप्तान द्वारा उसकी प्राप्ति की तारीख से प्रभावी होगा।

(2) द्वितीय कप्तान, प्रथम कप्तान को लिखित में सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा, किन्तु त्यागपत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक उसको ग्राम परिषद् द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है।

(3) प्रथम कप्तान, सहायक आयुक्त को लिखित में सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा, किन्तु त्यागपत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक उसको उसके द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है।

20. प्रथम कप्तान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का लाया जाना—(1) प्रथम कप्तान के विरुद्ध किसी ग्राम परिषद् के किसी सदस्य द्वारा, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, उसकी सूचना देने के पश्चात् कोई "अविश्वास" प्रस्ताव लाया जा सकेगा।

(2) उस तारीख से जिसको प्रस्ताव लाया गया है उस पर विचार-विमर्श करने के लिए पंद्रह दिन की अवधि के भीतर ग्राम परिषद् की एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी और ''अविश्वास'' प्रस्ताव पर विनिश्चय करेगी।

(3) यदि ''अविश्वास'' प्रस्ताव ग्राम परिषद् की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा लाया जाता है, तो ग्राम परिषद् प्रथम कप्तान को उसके पद से हटाने के लिए ग्राम साधारण निकाय को सिफारिश करेगी।

(4) उपधारा (4) के अधीन सिफारिश की प्राप्ति पर ग्राम साधारण निकाय की एक विशेष बैठक, ग्राम साधारण निकाय की कुल सदस्यता की एक बटा पांच से अन्यून की गणपूर्ति के साथ आयोजित की जाएगी और सिफारिश का उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा अनुमोदन किया जाएगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन सिफारिश के अनुमोदन पर, प्रथम कप्तान, उस तारीख से जिसको सिफारिश का अनुमोदन किया जाता है, पद पर नहीं रहेगा।

(6) यदि ग्राम परिषद् की सिफारिश का अनुमोदन नहीं किया जाता है या ग्राम साधारण निकाय की विशेष बैठक में गणपूर्ति नहीं है तो ग्राम परिषद् में प्रथम कप्तान के विरुद्ध एक नया ''अविश्वास'' प्रस्ताव उस तारीख से जिसको सिफारिश पर ग्राम साधारण निकाय का अनुमोदन प्राप्त करने में असफलता होती है या उस तारीख से जिसको गणपूर्ति की कमी के कारण सिफारिशों पर विचार नहीं किया जा सका, एक वर्ष की अवधि के भीतर नहीं लाया जाएगा।

(7) इस विनियम में किसी बात के होते हुए भी, प्रथम कप्तान उपधारा (2) के अधीन आयोजित ग्राम परिषद् और उपधारा (4) के अधीन ग्राम साधारण निकाय की किसी बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा और उसको ऐसे प्रस्ताव या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी विषय पर मतदान करने का हक नहीं होगा किन्तु उसको ऐसी बैठकों की कार्यवाहियों में बोलने का या अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा।

21. द्वितीय कप्तान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का लाया जाना— (1) द्वितीय कप्तान के विरुद्ध ग्राम परिषद् के किसी सदस्य द्वारा ऐसी रीति से जो विहित की जाए, सूचना देने के पश्चात् कोई ''अविश्वास'' प्रस्ताव लाया जा सकेगा।

(2) उस तारीख से जिसको प्रस्ताव लाया गया है, उस पर विचार-विमर्श करने की लिए पंद्रह दिन की अवधि के भीतर ग्राम परिषद् की एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी और ''अविश्वास'' प्रस्ताव पर विनिश्चय करेगी।

(3) यदि प्रस्ताव, ग्राम परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के दो-तिहाई से अन्यून के बहुमत द्वारा लाया जाता है तो द्वितीय कप्तान, उस तारीख से जिसको प्रस्ताव कार्यान्वित किया जाता है, पद पर नहीं रहेगा।

(4) इस विनियम में किसी बात के होते हुए भी, द्वितीय कप्तान उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा जिसमें उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया जाता है, किन्तु उसको ऐसी बैठक की कार्यवाहियों में बोलने का या अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा।

22. आकस्मिक रिक्ति—(1) ग्राम परिषद् के स्थान में या प्रथम या द्वितीय कप्तान के पद पर किसी आकस्मिक रिक्ति को ग्राम परिषद् की शेष अवधि के लिए इस विनियम के उपबंधों के अनुसार निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा:

परंतु जहां कोई स्थान या प्रथम कप्तान का पद, महिला के लिए आरक्षित किया गया है, वहां किसी महिला से भिन्न कोई व्यक्ति, ऐसी रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित होने के लिए अर्हित नहीं होगा।

23. ग्राम परिषद् के अधिकारी और कर्मचारी— (1) प्रत्येक ग्राम परिषद् का एक सचिव होगा जिसको उपायुक्त द्वारा नियुक्त किया जाएगा और जो अपना वेतन और भत्ता, ग्राम परिषद् निधि से प्राप्त करेगा।

(2) सचिव, ग्राम परिषद् के कार्यालय का भारसाधक होगा और इस विनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या उपविधियों द्वारा या उनके अधीन उसके कर्तव्यों का निर्वहन और प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(3) अनुशासन और नियंत्रण की बाबत प्रशासक द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, सचिव, प्रथम कप्तान के नियंत्रण के अधीन सभी विषयों पर कार्य करेगा जिसके माध्यम से वह ग्राम परिषद् के प्रति उत्तरदायी है।

(4) ग्राम परिषद्, ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगी जो आवश्यक समझे जाएं :

परंतु वह प्रशासक के पूर्व अनुमोदन के सिवाय किसी पद का सृजन नहीं करेगी।

(5) सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।

24. ग्राम परिषद् की बैठक—(1) किसी ग्राम परिषद् की बैठकों का समय और स्थान तथा ऐसी बैठकों में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विहित की जाए।

(2) किसी ग्राम परिषद् का कोई सदस्य, किसी बैठक में कोई संकल्प ला सकेगा और ग्राम परिषद् के प्रशासन से संबंधित विषयों पर ऐसी रीति से जो विहित की जाए, प्रथम कप्तान या द्वितीय कप्तान से प्रश्न पूछ सकेगा।

(3) किसी ग्राम परिषद् के किसी संकल्प को, ग्राम परिषद् द्वारा उसके पारित होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर ग्राम परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई द्वारा समर्थित किसी संकल्प के सिवाय, उपांतरित, संशोधित, उसमें फेरफार या उसे रद्द नहीं किया जाएगा।

25. समितियां—(1) ऐसे नियंत्रण और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं कोई ग्राम परिषद्, उसकी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने तथा उसके कर्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, जो विहित किए जाएं, समितियों को नियुक्त कर सकेगी।

(2) कोई समिति, पांच से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी और उसको ऐसे कारणों और ऐसी रीति में जो विहित की जाएं, विघटित या पुनर्गठित किया जा सकेगा।

26. रिक्ति की विद्यमानता के कारण कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना—किसी ग्राम परिषद् की कोई कार्रवाई या कार्यवाही को केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि ग्राम परिषद् में कोई रिक्ति विद्यमान है या उसके गठन में कमी है या उसकी कार्यवाहियों में कोई शैथिल्य है।

अध्याय 4

ग्राम परिषदों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य

27. ग्राम परिषद् के कर्तव्य और कृत्य—(1) धारा 33 के अधीन गठीत ग्राम परिषद् निधि की उपलब्धता के अधीन रहते हुए प्रत्येक ग्राम परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि वह द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों की बाबत अपनी अधिकारिता के भीतर युक्तियुक्त उपबंध करे।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ग्राम परिषद्, ग्राम के क्षेत्र के भीतर, किसी अन्य कार्य को कार्यान्वित करने या उसके लिए उपाय करने के लिए उपबंध भी कर सकेगी जिनसे ग्राम के निवासियों के स्वास्थ, सुरक्षा, शिक्षा, आराम, सुविधा या सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन की संभावना हो।

28. कतिपय संपत्तियों पर ग्राम परिषद् का नियंत्रण—(1) ग्राम परिषद्, धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन प्रशासक के निदेशन, प्रबंधन और नियंत्रण के अधीन रखी गई सभी सड़कों, गलियों, पुलों, पुलियों और अन्य संपत्तियों की बाबत उनके अनुरक्षण और मरम्मत के लिए सभी आवश्यक उपाय कर सकेगी और विशिष्टतया—

(क) किसी ऐसी सड़क, पुल या पुलिया या संयंत्र को चौड़ा, खुला, बडा या अन्यथा सुधार कर सकेगी और ऐसी सड़कों के किनारे पेड़ों को संरक्षित कर सकेगी;

(ख) धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ग) में उल्लिखित किसी जल स्त्रोत और अन्य संपति को गहरा या उनमें अन्यथा सुधार कर सकेगी ; और

(ग) किसी ऐसी सार्वजनिक सड़क या गली में निकली हुई किसी झाड़ी या किसी पेड़ की शाखाओं को काट सकेगी।

(2) ग्राम परिषद् का, सभी सड़कों, गलियों, जल मार्गो, पुलों और पुलियों पर भी नियंत्रण होगा जो उसकी अधिकारिता में अवस्थित हैं, और जो तत्समय सरकार के नियंत्रण के अधीन कोई निजी संपत्ति या संपति नहीं है और उनमें सुधार, अनुरक्षण और मरम्मत के लिए सभी आवश्यक उपाय कर सकेगी तथा विशिष्टतया,—

(क) नई सड़कों का अभिन्यास और उनको बना सकेगी ; और

(ख) नए पुलों और पुलियों का निर्माण कर सकेगी।

29. ग्राम परिषद् को कार्य या संस्था का अंतरण—प्रशासक, ग्राम परिषद् को किसी कार्य का निष्पादन, अनुरक्षण या मरम्मत या सरकार या किसी स्थानीय प्रधिकारी की ओर से किसी संस्था के प्रबंधन को सौंप सकेगा:

परंतु ऐसे प्रयोजन के लिए आवश्यक निधियों को सरकार या ऐसे स्थानीय प्रधिकारी द्वारा ग्राम परिषद् के व्ययन के लिए रखा जाएगा।

30. भू-राजस्व का संग्रहण—(1) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, प्रशासक किसी ग्राम परिषद् की सहमति से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा भू-राजस्व और भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलनीय अन्य शोध्यों का संग्रहण करने के कृत्यों और कर्तव्यों को ग्राम परिषद् को सौंप सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी ग्राम परिषद् को किन्हीं कृत्यों या कर्तव्यों को सौंपा जाता है, वहां प्रशासक, ऐसे ग्राम परिषद, को, ऐसी दरों पर जो अवधारित की जाएं, संग्रहण प्रभार का संदाय करेगा।

31. ग्राम स्वयंसेवी बल—(1) इस विनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए कोई ग्राम परिषद्, ग्राम में निवास करने वाले ऐसी हृष्ट-पृष्ट पुरुषों से मिलकर बनने वाले एक ग्राम स्वयंसेवी बल का संगठन कर सकेगी जो 21 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के बीच हों तथा जो बल में सम्मिलित होने के इच्छुक हों तथा ऐसे बल को एक समुचित व्यक्ति के कमान के अधीन रख सकेगी।

(2) ग्राम स्वयंसेवक बल की सेवाओं का, सामान्य पहरे और निगरानी के प्रयोजन के लिए तथा आपात की दशा में, जिसके अंतर्गत अग्नि, बाढ़, महामारी का प्रकोप या कोई अन्य प्रकृतिक आपदा भी है, उपयोग किया जा सकेगा।

(3) बल के किसी सदस्य को, ऐसे बल के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सद्भावपूर्वक निर्वहन में उसके द्वारा किए गए किसी कार्य के कारण हुई नुकसानियों के लिए दायी नहीं ठहराया जाएगा।

32. संविदाओं का निष्पादन—किसी ग्राम परिषद् द्वारा की गई प्रत्येक संविदा या करार लिखित में होगा और ग्राम परिषद् के प्रथम कप्तान, सचिव तथा एक अन्य सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित और ग्राम परिषद् की सामान्य मुद्रा से मुद्रांकित होगा।

अध्याय 5

वित्त, संपत्ति और लेखे

33. ग्राम परिषद् निधि—(1) प्रत्येक ग्राम साधारण निकाय के लिए एक ग्राम परिषद् निधि होगी और उसका उपयोग इस विनियम के अधीन ग्राम साधारण निकाय या ग्राम परिषद् पर अधिरोपित कर्तव्यों और बाध्यताओं को कार्यान्वित करने के लिए किया जाएगा।

(2) ग्राम परिषद् निधि में निम्नलिखित जमा किए जाएंगे और वे उसका भाग होंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 36 के अधीन अधिरोपित किसी कर या फीस के आगम;

(ख) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या व्यक्ति द्वारा किए गए अभिदाय ;

(ग) ग्राम परिषद् निधि में जमा की जाने वाली किसी प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा आदेश की गई सभी राशियां;

(घ) ऐसी प्रतिभूतियों से आय, जिनमें ग्राम परिषद् निधि का विनिधान किया है ;

(ङ) भू-राजस्व या सरकार के अन्य देयों के संग्रहण में अंश ;

(च) उधारों या दानों के रूप में प्राप्त सभी राशियां;

(छ) ग्राम परिषद् के प्रबंधनाधीन मत्स्यपालन से व्युत्पन्न आय ;

(ज) ग्राम साधारण निकाय की किसी संपत्ति से आय या उसके आगम ;

(झ) ग्राम परिषद् के कर्मचारियों द्वारा एकत्रित की गई सभी धूल, गंदगी, पशुविष्ठा या कचरे के विक्रय आगम ;

(त्र) सरकार के किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा ग्राम परिषद् निधि को समनुदेशित राशियां ; और

(ट) ग्राम परिषद् निधि से चलाई जा रही या वित्तपोषित या ग्राम परिषद् द्वारा प्रबंधित किसी संस्था या सेवा की सहायता में या उस पर व्यय के लिए प्राप्त सभी राशियां।

(3) ग्राम परिषद् निधि में रकम इस विनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए और उसके प्रयोजन के लिए उपयोजित की जाएगी, तथा ऐसी अभिरक्षा में रखी जाएगी जो विहित जाए।

34. अनुदान—प्रशासक, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह ठीक समझे, साधारण प्रयोजनों के लिए या ग्राम के सुधार तथा उसके निवासियों के कल्याण के लिए ग्राम परिषद् को अनुदान दे सकेगा।

35. ग्राम परिषद् के निदेशन, प्रबंधन और नियंत्रण के अधीन रखी गई संपत्तियां—(1) प्रशासक, यदि वह ठीक समझे, नीचे विनिर्दिष्ट प्रकृति की और ग्राम साधारण निकाय की अधिकारिता के भीतर स्थित सभी या किन्हीं संपत्तियों को ग्राम परिषद् के निदेशन, प्रबंधन और नियंत्रण के अधीन रख सकेगा, अर्थात् :—

(क) खुले स्थल, बंजर, रिक्त और चरागाह भूमि, जो निजी संपत्ति नही हैं और नदी तल ;

(ख) सार्वजनिक सड़कें और गलियां ;

(ग) सार्वजनिक जलसरणियां, जलमार्ग, कुएं, तालाब, टंकियां (सरकार के नियंत्रणाधीन सिंचाई टंकियों के सिवाय, सार्वजनिक स्रोत, जलाशय, हौज, फव्वारें, जलसेतु और किन्हीं सार्वजनिक टंकियों या तालाबों से संलग्न कोई लगी हुई भूमि (जो निजी संपत्ति नहीं है) और उससे संलग्न भूमियां;

(घ) सार्वजनिक मल नालियों, नालियों, जल निकास संकर्म, सुरंगें और पुलियाएं तथा उनसे संलग्न वस्तुएं और अन्य मल सफाई संकर्म ;

(ङ) गलियों पर जमा या ग्राम परिषद् द्वारा गलियों, शौचालयों, मूत्रालयों, सीवरों, हौदियों तथा अन्य स्थानों से एकत्रित मल, कूड़ा-करकट और घृणास्पद पदार्थ; और

(च) सार्वजिनिक बत्तियां, बत्ती स्तंभ और उनसे संबद्ध या उनसे संलग्न साधित्र।

(2) सभी बाजारों और मेलों को या उनके ऐसे भाग को, जो सार्वजनिक भूमि पर बने हैं, ग्राम परिषद् द्वारा प्रबन्धित और विनियमित किया जाएगा तथा ग्राम साधारण निकाय, उसके संबंध में उद्गृहीत या अधिरोपित सभी देयों को ग्राम परिषद् निधि के प्रत्यय में प्राप्त करेगी।

36. कर, जो अधिरोपित किए जा सकेंगे—(1) इस विनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, ग्राम परिषद् निम्नलिखित उद्ग्रहीत कर सकेगी :—

(क) भवनों के स्वामियों या अधिभोगियों पर कर;

(ख) वृत्तियों, व्यवसायों, आजीविकाओं और नियोजन पर कर ;

(ग) ग्राम की सीमाओं के भीतर रखें यंत्रनोदित वाहनों से भिन्न वाहनों पर कर;

(घ) ग्राम की सीमाओं के भीतर पशु के विक्रय पर कर;

(ङ) मनोरंजनों और आमोद-प्रमोद पर नाट्यशाला या प्रदर्शन कर;

(च) विद्युत कर;

(छ) मल निकास कर;

(ज) अपनी अधिकारिता के भीतर तीर्थयात्रियों के ऐसे पूजास्थलों, प्रदर्शनियों और मेलों में स्वच्छता व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए फीस;

(झ) बाजारों, मेंलों, प्रदर्शनियों और उत्सवों में माल के विक्रय के लिए फीस;

(ञ) ग्राम परिषद् के प्रबंधनाधीन चरागाह भूमि में पशुओं को चराने के लिए फीस;

(ट) ग्राम में फसलों का पहरा और निगरानी प्रदान करने के लिए फीस;

(ठ) सार्वजनिक नौका को चलाने के लिए अनुज्ञप्ति।

(2) उपधारा (2) में निर्दिष्ट करों और फीसों को ऐसी रीति में और ऐसे समयों पर, जो विहित किए जाएं अधिरोपित, निर्धारित और वसूल किए जाएंगे।

37. कर आदि के उद्ग्रहण के विरुद्ध अपील—धारा 36 के अधीन किसी कर या फीस के निर्धारण, उद्ग्रहण या अधिरोपण से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे कर या फीस अधिरोपित करने वाले आदेश की तारीख़ के तीस दिन के भीतर सहायक आयुक्त को अपील कर सकेगा।

38. कर या फीस के उद्ग्रहण का निलंबन—उपायुक्त, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 36 के अधीन किसी कर या फीस के उद्ग्रहण या अधिरोपण को निलंबित कर सकेगा और किसी समय, उसी रीति से, ऐसे निलंबन को विखंडित कर सकेगा।

39. फीस के संग्रहण का पट्टा—ग्राम परिषद् के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि सार्वजनिक नीलामी या प्राइवेट संविदा द्वारा हाटों और बाजारों के संबंध में किसी फीस के संग्रहण को, यदि ऐसी कोई फीस धारा 36 के अधीन अधरोपित की गई है, पट्टे पर दे :

परंतु पट्टाधारी, पट्टे या संविदा का शर्तों को सम्यक् रूप से पूरा करने के लिए प्रतिभूति देगा।

40. करों और अन्य देयों की वसूली—(1) जब किसी ग्राम परिषद् को देय कोई कर या फीस आ अन्य राशि संदेय हो गई हो तो ग्राम परिषद् कम से कम व्यवहार्य विलंब के साथ उसके संदाय के लिए दायी व्यक्ति को उससे शोध्य रकम के लिए विहित प्ररूप में मांग की सूचना भिजवाएगा और ऐसी सूचना की तारीख़ से तीस दिन के भीतर रकम का संदाय करने की उससे अपेक्षा करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक मांग की सूचना की तामील ऐसी रीति से की जाएगी जो विहित की जाए।

(3) यदि वह राशि, जिसके लिए मांग की सूचना की तामील की गई है, ऐसी सूचना की तारीख़ से तीस दिन के भीतर संदत्त नहीं की जाती है तो ग्राम परिषद् ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उसकी वसूली के लिए सहायक आयुक्त को आवेदन कर सकेगी।

41. लेखे—प्रत्येक ग्राम परिषद् अपनी प्राप्तियों और व्यय का लेखा, ऐसे प्ररूप में रखेगा, जो विहित किया जाए।

42. व्यय का वार्षिक प्राक्कलन—(1) प्रत्येक ग्राम परिषद् प्रत्येक वर्ष ऐसे समय पर और रीति से, जो विहित की जाए, आगामी वर्ष के लिए अपनी प्राकल्लित प्राप्तियों और संवितरण का बजट तैयार करेगी तथा ग्राम परिषद् के क्षेत्र पर अधिकारिता वाली द्वीप परिषद् को बजट प्रस्तुत करेगी।

(2) द्वीप परिषद्, तीस दिन के भीतर या तो बजट को अनुमोदित कर सकेगी या ऐसे उपांतरण के लिए, जो वह निदेश दे, उसको ग्राम परिषद् को वापस कर सकेगी।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन कोई उपांतरण किए जाते हैं तो बजट पन्द्रह दिन के भीतर द्वीप परिषद् को पुन: प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) द्वीप परिषद् द्वारा बजट अनुमोदित किए जाने तक कोई व्यय उपगत नहीं किया जाएगा :

परंतु यदि द्वीप परिषद् प्रस्तुत या पुन: प्रस्तुत किए जाने के तीस दिन के भीतर अपना अनुमोदन संसूचित करने में असफल रहती है तो बजट को अनुमोदित किया गया समझा जाएगा।

43. संपरीक्षा—(1) प्रत्येक ग्राम परिषद् के लेखाओं की ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, वार्षिक रूप से संपरीक्षा की जाएगी।

(2) सहायक आयुक्त का यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि वार्षिक संपरीक्षा ऐसी रीति से की जाती है, जो विहित की जाए।

(3) सहायक आयुक्त, रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, रिपोर्ट से किसी ऐसी मद को नामंजूर करने का आदेश कर सकेगा, जो उसको नियमों और विनियमों के प्रतिकूल प्रतीत होती है तथा अवैध संदाय करने या प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति पर उसका अधिभार डाल सकेगा और,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति ग्राम परिषद् का सदस्य है तो धारा 48 की उपधारा (2) और उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति मे उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगा ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति ग्राम परिषद् का सदस्य नहीं है तो उस व्यक्ति का स्पष्टीकरण अभिप्राप्त करेगा और उस व्यक्ति को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अधिभारित रकम का ग्राम परिषद् को संदाय करने का निदेश देगा तथा यदि रकम का संदाय विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो सहायक आयुक्त उसकी वसूली ऐसी रीति में कराएगा जो विहित की जाए।

(4) सहायक आयुक्त, संपरीक्षा के पूरा होने के एक मास के भीतर संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रतियां उपायुक्त और ग्राम परिषद् को भेजेगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन सहायक आयुक्त के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तारीख के तीस दिन के भीतर उपायुक्त को अपील कर सकेगा, जिसका विनिश्चय ऐसी अपील पर अंतिम होगा।

44. प्रशासन रिपोर्ट—(1) प्रत्येक ग्राम परिषद्, सहायक आयुक्त को पूर्व वित्तीय वर्ष के अंत से तीन मास के भीतर पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान ग्राम परिषद् के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) रिपोर्ट, प्रथम कप्तान द्वारा तैयार की जाएगी और ग्राम परिषद् द्वारा उसका अनुमोदन किए जाने के पश्चात् वह, उस पर ग्राम परिषद् के संकल्प की प्रति के साथ सहायक आयुक्त को भेजी जाएगी।

अध्याय 6

ग्राम परिषद् का नियंत्रण

45. कार्यवाहियों आदि को मंगाने की शक्ति—उपायुक्त या सहायक आयुक्त को, निम्नलिखित मांगने की शक्ति होगी :—

(i) ग्राम परिषद् की कार्यवाहियों या ग्राम परिषद् के कब्जे में या नियंत्रणाधीन किसी पुस्तक, अभिलेख, पत्राचार या द्स्तावेजों से कोई उध्दरण ; और

(ii) निरीक्षण या परीक्षा के प्रयोजन के लिए कोई विवरणी, नक्शे, प्राकल्लन विवरण, लेखे या रिपोर्ट।

46. ग्राम परिषद् द्वारा कर्तव्य के पालन में व्यतिक्रम—यदि किसी समय उपायुक्त को यह प्रतीत होता है कि किसी ग्राम परिषद् ने इस विनियम द्वारा उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य के पालन में जानबूझकर और लगातर व्यतिक्रम किया है तो वह लिखित आदेश द्वारा उस कर्तव्य के पालन के लिए अवधि नियत कर सकेगा: परंतु जहां इस प्रकार नियत अवधि के भीतर कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है वहां उपायुक्त या सहायक आयुक्त उसका पालन करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा और यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे कर्तव्य के पालन के व्यय ऐसी अवधि के भीतर, जो उपायुक्त या सहायक आयुक्त ठीक समझे, व्यतिक्रमी ग्राम परिषद् द्वारा संदत्त किए जाएंगे।

47. ग्राम परिषद् के संकल्प संबंधी आदेश के निष्पादन का निलंबन—(1) यदि उपायुक्त या सहायक आयुक्त की राय में ग्राम परिषद् के किसी आदेश या संकल्प के निष्पादन या ऐसी किसी बात के किए जाने से, जो ग्राम परिषद् द्वारा या उसकी ओर से किया जाने वाला है या किया जा रहा है, जनता को क्षति या क्षोभ हो रहा है या होने की संभावना है या उसके कारण शांति भंग होती है या वह विधिविरुद्ध है तो वह लिखित आदेश द्वारा उसके निष्पादन को निलंबित या किए जाने को प्रतिषिद्ध कर सकेगा।

(2) जब सहायक आयुक्त उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश करता है तो वह आदेश की एक प्रति, उसके किए जाने के कारणों के कथन के साथ, उससे प्रभावित ग्राम परिषद् को तुरंत भेजेगा।

(3) सहायक आयुक्त, उन परिस्थितियों की रिपोर्ट उपायुक्त को तुरंत प्रस्तुत करेगा जिनमें इस धारा के अधीन आदेश किया गया था और उपायुक्त, ग्राम परिषद् को सूचना देने के पश्चात् और ऐसी जाँच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, आदेश को विखंडित, उपांतरित या पुष्ट कर सकेगा।

48. हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिए सदस्यों का दायित्व—(1) ग्राम परिषद् का प्रत्येक सदस्य, ग्राम साधारण निकाय के ऐसे किसी धन या अन्य संपत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिए व्यक्तिगत रुप से दायी होगा जिसके लिए वह एक पक्षकार रहा है या जो उसके कदाचार या सदस्य के रुप मे अपने कर्तव्य की जानबूझकर उपेक्षा द्वारा किया गया या सुकर बनाया गया है, जो कपट की कोटि में आता है।

(2) यदि संबंधित सदस्य को प्रतिकूल कारण दर्शित करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् सहायक आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि ग्राम साधारण निकाय के किसी धन या अन्य संपत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन उसके कर्तव्य में कदाचार या जानबूझकर उपेक्षा का सीधा परिणाम है तो वह लिखित आदेश द्वारा ऐसे सदस्य को नियत तारीख के पूर्व ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिए उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए अपेक्षित रकम का ग्राम परिषद् को संदाय करने का निदेश देगा :

परंतु ऐसा आदेश किसी सदस्य की सद्भावी या तकनीकी अनियमितताओं या त्रुटि के लिए नहीं किया जाएगा।

(3) यदि रकम का इस प्रकार संदाय नहीं किया जाता है तो

सहायक आयुक्त उसकी वसूली ऐसी रीति से कराएगा जो विहित की जाए।

(4) सहायक आयुक्त का आदेश उपायुक्त को अपील करने के अधीन होगा यदि आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर की जाती है।

49. ग्राम परिषद् का विघटन—यदि प्रशासक की राय में कोई ग्राम परिषद्,—

(क) अपनी शक्तियों का अतिक्रमण या दुरुपयोग करती है; या

(ख) इस विनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने में अक्षम है या पालन में जानबूझकर और लगातार व्यतिक्रम करती है ; या

(ग) इस विनियम के अधीन उद्ग्रहणीय करों का उद्ग्रहण करने में असफल रहती है ; या

(घ) धारा 47 की उपधारा (2) के अधीन किए गए सहायक आयुक्त के आदेश का लगातार अननुपालन करती है,

तो प्रशासक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ग्राम परिषद् को विघटित कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश, ग्राम परिषद् को स्पष्टीकरण देने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

(3) यदि किसी ग्राम परिषद् को उपधारा (1) के अधीन विघटित किया जाता है तो उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :—

(क) ग्राम परिषद् के सभी सदस्य आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से सदस्य नहीं रहेंगे;

(ख) ग्राम परिषद् के विघटन की अवधि के दौरान ग्राम परिषद् की सभी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन इस निमित्त प्रशासक द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा।

50. ग्राम परिषदों के बीच विवाद—यदि दो या अधिक ग्राम परिषदों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसको उपायुक्त को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस मामले में विनिश्चय अंतिम होगा।

51. प्रशासक कार्यवाहियों के लिए मांग कर सकेंगे—प्रशासक पारित किए गए किसी आदेश की विधिमान्यता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी या ग्राम परिषद् की कार्यवाहियों के अभिलेख मंगा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा और आदेश को इस प्रकार पुनरीक्षित या उपांतरित कर सकेगा, जैसा वह ठीक समझे।

अध्याय 7

द्वीप परिषद्

52. द्वीप परिषद् का गठन—प्रशासक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक द्वीप के लिए ऐसे नाम से ज्ञात किसी परिषद् का, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, गठन कर सकेगा।

53. द्वीप परिषद् की संरचना—(1) प्रत्येक द्वीप परिषद् में सदस्यों के उतने स्थान होंगे, जितने प्रशासक, अधिसूचना द्वारा अवधारित करे।

(2) प्रत्येक द्वीप परिषद् के मुख्य कप्तान का निर्वाचन संबद्ध द्वीप परिषद् की सभी ग्राम साधारण निकायों के रजिस्ट्रीकृत मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाएगा।

(3) किसी द्वीप में ग्राम परिषद् के सभी प्रथम कप्तान अपने में से द्वीप परिषद् का उप मुख्य कप्तान निर्वाचित करेंगे।

(4) द्वीप परिषद्, संबद्ध द्वीप में ग्रामों के मुख्य कप्तान, उप मुख्य कप्तान और प्रथम कप्तानों से मिलकर बनेगी।

(5) धारा 11 की उपधारा (5) और उपधारा (6) के उपबंध, जहां तक हो सके, द्वीप परिषद् को इस उपांतरण के अधीन रहते हुए, कि "प्रथम कप्तान" पद के स्थान पर "मुख्य कप्तान" पद रखा जाएगा, उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे ग्राम परिषद् को लागू होते हैं।

54. द्वीप परिषदों का निगमन—प्रत्येक द्वीप परिषद्, एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और उसको ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो इस विनियम द्वारा या उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अधिरोपित की जाएं, दोनों प्रकार की स्थावर और जंगम संपत्ति का अर्जन, धारण, प्रशासन और अंतरण करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद लाएगा या उसके विरुद्ध वाद लाया जाएगा।

55. मत देने और निर्वाचित किए जाने के लिए अर्हित व्यक्ति—(1) द्वीप परिषद् का गठन करने वाली ग्राम महासभा का प्रत्येक सदस्य जब तक इस विनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निरर्हित न किया गया हो, द्वीप परिषद् के किसी निर्वाचन में मत देने के लिए अर्हित होगा।

(2) द्वीप परिषद् का गठन करने वाली ग्राम सामान्य निकाय का प्रत्येक सदस्य जब तक धारा 4 के उपबंध या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निरर्हित न किया गया हो, द्वीप परिषद् में के किसी निर्वाचन में मत देने और निर्वाचित किए जाने के लिए अर्हित होगा।

56. निरर्हता—कोई व्यक्ति, किसी द्वीप परिषद् का सदस्य नहीं होगा या उस रूप में बना नहीं रहेगा, यदि,—

(क) वह ग्राम परिषद् या द्वीप परिषद् को देय किसी कर, फीस या अन्य राशि का उस तारीख से तीन मास के भीतर संदाय करने में असफल रहा है, जिसको या जिससे पूर्व ऐसा कर, फीस या अन्य राशि संदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित है;

(ख) वह ग्राम सामान्य निकाय या ग्राम परिषद् या द्वीप परिषद् या जिला योजना समिति के अधीन कोई वैतनिक पद या लाभ का पद धारित करता है;

(ग) उसका द्वीप परिषद् के साथ या उसके अधीन या उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या नियोजन में द्वीप परिषद् द्वारा या उसके लिए किए गए किसी कार्य में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अंश या धनीय हित है;

(घ) वह सरकार या किसी नगरपालिका या पंचायती राज संस्था या जनजातीय परिषद् का सेवक है;

(ङ) उसको सरकार या नगर पालिका या पंचायती राज संस्था या जनजातीय परिषद् से कदाचार के लिए सेवा से पदच्युत किया गया है;

(च) उसको दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 109 और धारा 110 के अधीन अच्छे व्यवहार के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है;

(छ) उसको ऐसे किसी अपराध के लिए किसी दंड न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें हिंसा या नैतिक अधमता अंतर्वलित है और तीन मास से अन्यून के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है तथा ऐसा कारावास भुगतने के पश्चात् उसकी निर्मुक्ति से पांच वर्ष की अवधि व्यतीत नहीं हुई है;

(ज) उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है;

(झ) वह विकृतचित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है;

(ञ) उसको सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है या सक्षम न्यायालय द्वारा निर्वाचनों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण को अपनाने के लिए या कोई निर्वाचन अपराध करने के लिए ऐसी निरर्हता की अवधि के लिए निरर्हित कर दिया गया है; और

(ट) उसको खंड (ज) के अधीन रहते हुए लोकसभा के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया गया है।

57. निरर्हता संबंधी प्रश्न का विनिश्चय—यदि ऐसा कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या कोई व्यक्ति धारा 4, धारा 7 या धारा 56 में निर्दिष्ट किसी निरर्हता के अधीन हो गया है तो उसको विनिश्चय के लिए उपायुक्त को निर्दिष्ट किया जाएगा जो उक्त व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उसका विनिश्चय अभिलिखित करेगा :

परंतु किसी ऐसे प्रश्न पर कोई विनिश्चय अभिलिखित करने से पूर्व उपायुक्त निर्वाचन आयोग की राय अभिप्राप्त करेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।

58. उप मुख्य कप्तान का निर्वाचन—(1) इस विनियम के अधीन पहली बार किसी द्वीप परिषद् के गठन पर या किसी द्वीप परिषद् की अवधि की समाप्ति पर या उसके पुनर्गठन पर उपायुक्त, द्वीप परिषद् के सदस्यों में से उप मुख्य कप्तान के निर्वाचन के लिए सहायक आयुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाएगा।

(2) निर्वाचन का संचालन संबंधित सहायक आयुक्त के सीधे अधीक्षण के अधीन किया जाएगा।

(3) बैठक की अध्यक्षता द्वीप परिषद् के मुख्य कप्तान द्वारा की जाएगी जिसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(4) ऐसी बैठक में उप मुख्य कप्तान के निर्वाचन से भिन्न किसी कारबार का संव्यवहार नहीं किया जाएगा।

(5) मतों के बराबर होने की दशा में निर्वाचन का परिणाम, सहायक आयुक्त द्वारा लाटरी द्वारा ऐसी रीति से विनिश्चित किया जाएगा, जो वह अवधारित की जाए।

59. द्वीप परिषद् की कार्यपालक शक्तियां—द्वीप परिषद् की कार्यपालक शक्तियां, द्वीप परिषद् पर इस विनियम के अधीन अधिरोपित कर्तव्यों के पूरा करने का उत्तरदायित्व और द्वीप परिषद् के संकल्पों को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व मुख्य कप्तान में निहित होगा।

60. द्वीप परिषद् का कार्यकाल—(1) द्वीप परिषद्, जब तक तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले विघटित नहीं कर दी जाती है, तब तक अपनी प्रथम बैठक में नियत तारीख से केवल पांच वर्ष के लिए पद पर बनी रहेगी और उससे अधिक नहीं।

(2) द्वीप परिषद् का गठन करने के लिए निर्वाचन,—

(क) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व;

(ख) उसके विघटन की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व पूरा किया जाएगा :

परंतु जहां वह शेष अवधि, जिसके लिए विघटित द्वीप परिषद् बनी रहती है, छह मास से कम होगी, वहां द्वीप परिषद् का गठन करने के लिए इस उपधारा के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

(3) किसी द्वीप परिषद् के विघटन पर उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व गठित द्वीप परिषद् केवल उस शेष अवधि के लिए बनी रहेगी जिसके लिए उपधारा (1) के अधीन विघटित द्वीप परिषद् तब बनी रहती यदि उसका इस प्रकार विघटन न हुआ होता।

61. पद की शपथ—(1) द्वीप परिषद् की पहली बैठक के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, उसका प्रत्येक सदस्य पहली अनुसूची में उपवर्णित प्ररूप में सहायक आयुक्त के समक्ष पद की शपथ लेगा।

(2) द्वीप परिषद् का कोई सदस्य, जिसने ऐसी शपथ नहीं ली है, किसी बैठक की कार्यवाहियों में मत नहीं दे सकेगा या भाग नहीं ले सकेगा, न ही द्वीप परिषद् द्वारा गठित किसी समिति के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।

62. पद से त्यागपत्र—मुख्य कप्तान, अपने पद का त्याग, उपायुक्त को उस आशय की लिखित में सूचना देकर कर सकेगा, किंतु त्यागपत्र, उसके द्वारा स्वीकृत किए जाने पर ही प्रभावी होगा।

63. मुख्य कप्तान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव—(1) मुख्य कप्तान के विरुद्ध 'अविश्वास' का प्रस्ताव, द्वीप परिषद् के किसी सदस्य द्वारा पन्द्रह दिन की सूचना देने के पश्चात् लाया जा सकेगा।

(2) उस तारीख से, जिसको प्रस्ताव लाया गया है, पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने और उसका विनिश्चय करने के लिए द्वीप परिषद् की विशेष बैठक बुलाई जाएगी।

(3) यदि, अविश्वास प्रस्ताव, द्वीप परिषद् के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा लाया जाता है तो द्वीप परिषद् उस द्वीप की सभी ग्राम सामान्य निकायों को मुख्य कप्तान को उसके पद से हटाने की सिफारिश करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन सिफारिश की प्राप्ति पर सभी ग्राम सामान्य निकायों की एक विशेष बैठक ग्राम सामान्य निकायों के कुल सदस्यों के एक बटा पांच से अन्यून की गणपूर्ति के साथ बुलाई जाएगी और सिफारिशों को, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से अनुमोदित किया जाएगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन सिफारिश के अनुमोदन पर मुख्य कप्तान, उस तारीख से, जिसको सिफारिश का अनुमोदन किया गया है, पदधारण नहीं करेगा।

(6) यदि द्वीप परिषद् की सिफारिश को अनुमोदित नहीं किया जाता है या सभी ग्राम सामान्य निकायों की विशेष बैठक में गणपूर्ति नहीं होती है तो उस तारीख से, जिसको सिफारिश सभी ग्राम सामान्य निकायों का अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है या उस तारीख से, जिसको गणपूर्ति की कमी के कारण सिफारिश पर विचार नहीं किया जा सका, एक वर्ष की अवधि के भीतर द्वीप परिषद् के मुख्य कप्तान के विरुद्ध नया अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा।

(7) इस विनियम में किसी बात के होते हुए भी, मुख्य कप्तान उपधारा (2) के अधीन बुलाई गई द्वीप परिषद् की और उपधारा (4) के अधीन ग्राम सामान्य निकाय की किसी बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा और वह, ऐसी कार्यवाहियों के दौरान ऐसे प्रस्ताव या किसी अन्य विषय पर मतदान करने का हकदार होगा किंतु उसको ऐसी बैठकों की कार्यवाहियों में बोलने या भाग लेने का अधिकार होगा।

64. उप मुख्य कप्तान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव—(1) उप मुख्य कप्तान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव द्वीप परिषद् के किसी सदस्य द्वारा पन्द्रह दिन की सूचना देने के पश्चात् लाया जा सकेगा।

(2) उस तारीख से, जिसको प्रस्ताव लाया गया है, पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने और उसका विनिश्चय करने के लिए द्वीप परिषद् की विशेष बैठक बुलाई जाएगी।

(3) यदि प्रस्ताव, द्वीप परिषद् के कुल सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा लाया जाता है तो उप मुख्य कप्तान, उस तारीख से, जिसको प्रस्ताव लाया गया है, पद पर नहीं रहेगा।

(4) इस विनियम में किसी बात के होते हुए भी, उप मुख्य कप्तान ऐसी किसी बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, जिसमें उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया जाता है और उसको ऐसे प्रस्ताव या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर मतदान का हक नहीं होगा, किंतु उसको ऐसी बैठकों की कार्यवाहियों में बोलने या भाग लेने का अधिकार होगा।

65. आकस्मिक रिक्ति—मुख्य कप्तान या उप मुख्य कप्तान के पद में किसी आकस्मिक रिक्ति को शेष पदावधि के लिए इस विनियम के उपबंधों के अनुसार निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा :

परंतु स्त्रियों के लिए आरक्षित मुख्य कप्तान के पद के लिए स्थान की दशा में, किसी स्त्री से भिन्न कोई व्यक्ति, ऐसी रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित किए जाने हेतु अर्हित नहीं होगा।

66. द्वीप परिषद् के अधिकारी और कर्मचारी—(1) प्रशासक, प्रत्येक द्वीप परिषद् के लिए अंदमान और निकोबार प्रशासन के समुचित पंक्ति के किसी अधिकारी को कार्यकारी अधिकारी के रूप में अभिहित या नियुक्त करेगा।

(2) प्रशासक, समय-समय पर, ऐसे अधिकारियों और अंदमान और निकोबार प्रशासन के समूह 'ख' या समूह 'ग' या समूह 'घ' पदों या सेवाओं के ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हें प्रशासक आवश्यक समझे, द्वीप परिषद् के अधीन सेवा करने के लिए तैनात कर सकेगा।

(3) इस विनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी प्रशासक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या प्राधिकारी को इस प्रकार तैनात किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को एक द्वीप परिषद् से दूसरी द्वीप परिषद् में या अंदमान और निकोबार प्रशासन में स्थानांतरित करने की शक्ति होगी।

(4) द्वीप परिषद्, उतने अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगी, जितने वह आवश्यक समझे :

परंतु वह, प्रशासन के पूर्व अनुमोदन के सिवाय कोई पद सृजित नहीं करेगी।

67. कार्यपालक अधिकारी और अन्य अधिकारियों के कृत्य—(1) इस विनियम द्वारा या उसके अधीन, अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कार्यपालक अधिकारी,—

(क) इस विनियम द्वारा या उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उस पर विनिर्दिष्ट रूप से अधिरोपित या उसको प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा;

(ख) प्रशासक द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार द्वीप परिषद् के या उसके अधीन पदधारण कर रहे अधिकारियों और पदधारियों के कर्तव्य अधिकथित करेगा और उनका अधीक्षण और नियंत्रण करेगा;

(ग) द्वीप परिषद् के सभी कार्यों के निष्पादन का अधीक्षण और नियंत्रण करेगा;

(घ) द्वीप परिषद् के सभी कार्यों और विकासशील स्कीमों के शीघ्र निष्पादन के लिए आवश्यक उपाय करेगा;

(ङ) द्वीप परिषद् और उसकी समितियों की बैठकों की कार्यवाहियों से संबंधित सभी कागजपत्रों और दस्तावेजों को अभिरक्षा में रखेगा;

(च) द्वीप परिषद् निधि में से धन निकालेगा और संवितरित करेगा; और

(छ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो विहित किए जाएं।

(2) कार्यपालक अधिकारी, द्वीप परिषद् की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होगा और उसको, उसकी किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने तथा विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा किंतु प्रस्ताव लाने या मत देने का अधिकार नहीं होगा और यदि कार्यपालक अधिकारी की राय में द्वीप परिषद् के समक्ष कोई प्रस्ताव इस विनियम या उसके अधीन बनाई गई किसी अन्य विधि, नियम या आदेश के उपबंधों के उल्लंघन में या उससे असंगत है तो उसको द्वीप परिषद् की जानकारी में लाना उसका कर्तव्य होगा।

68. द्वीप परिषद् की बैठक—(1) द्वीप परिषद् की बैठक का समय और स्थान तथा ऐसी बैठक की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी विहित की जाए।

(2) द्वीप परिषद् का कोई सदस्य किसी बैठक में कोई संकल्प ला सकेगा और द्वीप परिषद् के प्रशासन से संबंधित विषयों पर मुख्य कैप्टन या उपमुख्य कैप्टन से ऐसी रीति से प्रश्न पूछ सकेगा जो विहित की जाए।

(3) द्वीप परिषद् के किसी संकल्प को, द्वीप परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई द्वारा समर्थित संकल्प के सिवाय उसके पारित किए जाने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर द्वीप परिषद् द्वारा उपांतरित, संशोधित, परिवर्तित या रद्द नहीं किया जाएगा।

69. समितियां—(1) ऐसे नियंत्रण और निबंधनों के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाएं, द्वीप परिषद्, अपनी ऐसी शक्तियों के प्रयोग के लिए और अपने कर्तव्यों और कृत्यों के निर्वहन के लिए समितियां नियुक्त कर सकेगी, जैसा वह अवधारित करे।

(2) समिति, पांच सदस्यों से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी और ऐसे कारणों से तथा ऐसी रीति से विघटित या पुनर्गठित की जा सकेगी, जो विहित की जाए।

70. रिक्तियों की विद्यमानता से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना—द्वीप परिषद् का किसी कार्य या कार्यवाही को, द्वीप परिषद् के गठन में केवल किसी रिक्ति या त्रुटि की विद्यमानता के कारण या उसकी कार्यवाहियों में किसी त्रुटि के कारण, अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा।

71. कर्तव्य और कृत्य—(1) द्वीप परिषद् को ऐसी शक्ति और प्राधिकार होगें जो प्रशासक, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं जिससे तीसरी अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं को तैयार करने के संबंध में स्वशासन की संस्था के रूप में कृत्य करने के लिए उसे समर्थ किया जा सके।

(2) द्वीप परिषद् अपनी अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर कोई अन्य कार्य या उपाय करने के लिए भी उपबंध कर सकेगा जिससे उसके अधिकारिता के भीतर रह रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, आराम, सुविधा, सामाजिक या आर्थिक भलाई के संवर्द्धन

की संभावना हों और उसके अनुरक्षण तथा मरम्मत के लिए ऐसी सभी आवश्यक बातें कर सकेगा और विशिष्टतयां निम्नलिखित कर सकेगा :—

(क) किसी ऐसी सड़क, पुल या नाली और संयंत्र को चौड़ा करना, खोलना, बढ़ाना या अन्यथा सुधार करना और ऐसी सड़कों के दोनों ओर वृक्षों की संरक्षा करना;

(ख) धारा 77 की उपधारा (1) के खंड (ग) में वर्णित किसी जल मार्ग और अन्य संपत्ति को गहरा या अन्यथा सुधार करना ; और

(ग) किसी ऐसी सड़क या गली में खड़े किसी पेड़ के घेरे या उसकी शाखा को काटना।

(3) द्वीप परिषद् का सभी ऐसी सड़कों, गलियों या जल मार्गों, पुलों और नलवाहिकाओं पर भी नियंत्रण हो सकेगा जो निजी संपत्ति न होते हुए या सरकार के नियंत्रण के अधीन तत्समय संपत्ति न होते हुए, उसकी अधिकारिता के भीतर स्थित हैं और उनके सुधार, अनुरक्षण तथा मरम्मत के लिए सभी आवश्यक बातें कर सकेगा, और नई सड़कों और गलियों को बना सकेगा और नए पुलों और पुलियाओं का निर्माण कर सकेगा।

72. द्वीप परिषद् को किसी कार्य या संस्था का अंतरण—प्रशासक द्वीप परिषद् को सरकार या स्थानीय प्राधिकरण की ओर से किसी कार्य का निष्पादन, अनुरक्षण या मरम्मत या किसी संस्था का प्रबंध न्यस्त कर सकेगा :

परंतु द्वीप परिषद् को इस प्रकार न्यस्त कार्य के निष्पादन या मरम्मत या संस्था के प्रबंध के लिए आवश्यक निधि, प्रशासक या ऐसे स्थानीय प्राधिकारी द्वारा द्वीप परिषद् के निपटान के लिए रखी जाएगी।

73. संविदा का निष्पादन—द्वीप परिषद् द्वारा की गई प्रत्येक संविदा या करार लिखित रूप में होगा और मुख्य कैप्टन, कार्यपालक अधिकारी और द्वीप परिषद् के एक अन्य सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित होगी तथा द्वीप परिषद् की सामान्य मुद्रा द्वारा मुद्रांकित होगी।

74. द्वीप परिषद् निधि—(1) प्रत्येक द्वीप परिषद् के लिए द्वीप परिषद् द्वारा या उसकी ओर से धन जमा करने के लिए या उससे ऐसा धन निकालने के लिए एक द्वीप परिषद् निधि होगी।

(2) द्वीप परिषद् निधि में निम्नलिखित जमा किया जाएगा और उसका भाग होगा, अर्थात् :—

(क) धारा 75 के अधीन अधिरोपित किसी कर या फीस के आगम;

(ख) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा किया गया अभिदाय;

(ग) किसी प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा, द्वीप परिषद् निधि में जमा करने के लिए आदेशित सभी रकमें ;

(घ) ऐसी प्रतिभूतियों से आय जिसमें द्वीप परिषद् निधि का विनिधान किया गया है;

(ङ) सरकार के भू-राजस्व या अन्य शुल्क के संग्रहण का अंश;

(च) ऋणों या दान द्वारा प्राप्त सभी रकमें ;

(छ) द्वीप परिषद् के प्रबंधनाधीन मत्स्य पालन से प्राप्त आय;

(ज) द्वीप परिषद् की किसी संपत्ति से या उसके आगमों से आय;

(झ) द्वीप परिषद् के कर्मचारियों द्वारा संगृहीत सभी मिट्टी, कीचड़, खाद या कूड़ा करकट के विक्रय आगम;

(ञ) प्रशासक के किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा द्वीप परिषद् निधि को समनुदेशित रकमें;

(ट) किसी संस्था की सहायता या उसके व्यय के लिए या द्वीप परिषद् निधि से सेवा के लिए या वित्तपोषण या द्वीप परिषद् द्वारा प्रबंधित प्राप्त रकम; और

(ठ) भारत की संचित निधि से सहायता अनुदान।

(3) द्वीप परिषद् की रकम का उपयोजन इस विनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए और उसके प्रयोजनों के लिए किया जाएगा तथा ऐसी अभिरक्षा में रखा जाएगा जो विहित की जाए।

75. कर शुल्क आदि का उद्ग्रहण—(1) द्वीप परिषद्, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और सीमा के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, निम्नलिखित कर, शुल्क, पथकर, उपकर और फीस उद्गृहीत, संगृहीत, निर्धारित और समायोजित कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) उसमें निहित या उसके प्रबंध के अधीन कच्ची सड़क या किसी पुल से भिन्न किसी सड़क पर उसके द्वारा स्थापित किसी पथकर रोक पर व्यक्तियों, यानों या किसी वर्ग के पशुओं पर पथकर;

(ख) उसके द्वारा स्थापित या उसके प्रबंध के अधीन किसी नौका घाट की बाबत पथकर;

(ग) यानों के रजिस्ट्रीकरण पर फीस;

(घ) अपनी अधिकारिता के भीतर ऐसे पूजा स्थलों या तीर्थ स्थलों, हाटों और मेलों में स्वच्छता प्रबंध उपलब्ध कराने की फीस;

(ङ) मेला या बाजार के लिए अनुज्ञप्ति की फीस;

(च) जल दर, जहां पीने, सिंचाई या किसी अन्य प्रयोजन के लिए जल की आपूर्ति की व्यवस्था अपनी अधिकारिता के भीतर द्वीप परिषद् द्वारा की गई है ;

(छ) विद्युत दर, जहां सार्वजनिक गलियों और स्थानों पर बिजली का प्रबंध अपनी अधिकारिता के भीतर द्वीप परिषद् द्वारा किया गया है :

परंतु द्वीप परिषद्, यान का रजिस्ट्रीकरण या उस पर फीस का उद्ग्रहण नहीं करेगा और अपनी अधिकारिता के भीतर पूजा स्थलों या तीर्थ स्थलों, हाटों और मेलों में स्वच्छता प्रबंध उपलब्ध नहीं कराएगा या उस पर फीस उद्गृहीत नहीं करेगा यदि ऐसा कोई यान पहले ही तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत है या यदि स्वच्छता प्रबंध की ऐसी कोई व्यवस्था किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पहले ही की गई है।

(2) पथकर, फीस या दर का मापदंड और उसके अधिरोपण के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।

76. सामान्य प्रयोजनों के लिए अनुदान—प्रशासक, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसा वह ठीक समझे, द्वीप परिषद् को, सामान्य प्रयोजनों के लिए द्वीप परिषद् की अधिकारिता के अधीन आने वाले क्षेत्रों के सुधार और उसके निवासियों के कल्याण के लिए अनुदान दे सकेगा।

77. किसी कार्य या संस्था का द्वीप परिषद् को अंतरण—(1) प्रशासक, यदि वह ठीक समझे, द्वीप परिषद् की अधिकारिता के भीतर स्थित और नीचे विनिर्दिष्ट प्रकृति की किन्हीं संपत्तियों को द्वीप परिषद् के निदेश, प्रबंध और नियंत्रण के अधीन रख सकेगा, अर्थात् :—

(क) खाली स्थान, अपशिष्ट, रिक्त और चरागाह भूमि, जो निजी संपत्ति और नदी का किनारा नहीं है;

(ख) सार्वजनिक सड़क और गली;

(ग) सार्वजनिक नहर, जलवाहिका, कुआ, तालाब, कुंड (सरकार के नियंत्रण के अधीन सिंचाई कुंड को छोड़कर), सार्वजनिक जलस्रोत, जलाशय, टंकी, कृत्रिम जल-प्रणाल और कोई समीप भूमि (जो निजी संपत्ति नहीं है) किसी सार्वजनिक कुंड या तालाब से और उससे संलग्न भूमि ;

(घ) सार्वजनिक मल-प्रणाल, नाली, अपवहन कार्य, सुरंग और पुलिया तथा अन्य संरक्षण कार्य और उससे संलग्न बातें ;

(ङ) गलियों, शौचघर, मूत्रालय, मल-प्रणाल, हौदी और अन्य स्थानों से द्वीप परिषद् द्वारा एकत्र की गई या गलियों पर जमा मल प्रवाह, कूड़ा करकट और अन्य बदबूदार वस्तुएं; और

(च) सार्वजनिक लैंप, लैंपपोस्ट और उससे जुड़ी हुई या उससे संलग्न वस्तुएं।

(2) सभी बाजार या उसका ऐसा कोई हाट जो सार्वजनिक भूमि पर आयोजित किया जा रहा है, द्वीप परिषद् द्वारा प्रबंधकृत और विनियमित किया जाएगा तथा उसकी बाबत उद्गृहीत या अधिरोपित, शोध्यों को द्वीप परिषद् को प्रत्यय किया जाएगा।

78. फीस संग्रहण आदि का पट्टा—द्वीप परिषद् के लिए सार्वजनिक नीलामी या निजी संविदा द्वारा बाजार पर किसी फीस का संग्रहण करना विधि सम्मत होगा, यदि ऐसी कोई फीस धारा 75 के अधीन अधिरोपित की जाती है।

79. कर और अन्य शोध्यों की वसूली—(1) जब द्वीप परिषद् को शोध्य कोई कर या फीस या अन्य रकम देय हो जाती है तो द्वीप परिषद् यथासाध्य कम से कम विलंब से उसके संदाय के लिए दायी व्यक्ति को उससे शोध्य रकम के लिए विहित प्ररूप में मांग सूचना भेजेगा या भिजवाएगा और उससे ऐसी सूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर रकम का संदाय करने की अपेक्षा करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन मांग की प्रत्येक सूचना ऐसी रीति से तामील की जाएगी जो विहित की जाए।

(3) यदि वह रकम, जिसके लिए मांग की सूचना तामील की गई है, ऐसी सूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर संदत्त नहीं की जाती है तो द्वीप परिषद् संबद्ध सहायक आयुक्त को ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, इसकी वसूली के लिए आवेदन कर सकेगा।

80. लेखा—प्रत्येक द्वीप परिषद् ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, अपनी प्राप्ति और व्यय का लेखा बनाए रखेगा।

81. द्वीप परिषद् का बजट—(1) प्रत्येक द्वीप परिषद् आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपने प्राक्कलित प्राप्ति और वितरण का एक बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी रीति से और ऐसे समय में तैयार करेगा, जो विहित की जाए और बजट, उप-आयुक्त को प्रस्तुत करेगा।

(2) उपायुक्त तीस दिन के भीतर या तो बजट का अनुमोदन करेगा या उसको ऐसे उपांतरणों के साथ जैसा वह निदेश दे, द्वीप परिषद् को वापस करेगा।

(3) यदि कोई उपांतरण, उपधारा (2) के अधीन किए जाते हैं तो बजट पन्द्रह दिन के भीतर उपायुक्त को पुन: प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) कोई व्यय तब तक उपगत नहीं किया जाएगा जब तक बजट, उपायुक्त द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है या अनुमोदित किया गया नहीं समझा जाता है :

परंतु यदि उपायुक्त प्रस्तुतीकरण या पुन: प्रस्तुतीकरण के तीस दिन के भीतर अपना अनुमोदन संसूचित करने में असफल रहता है तो बजट अनुमोदित किया गया समझा जाएगा।

(5) द्वीप परिषद् अपने बजट के किसी उपांतरण के लिए उपबंध करते हुए अनुपूरक प्राक्कलन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में तैयार करेगा और उपायुक्त को अनुमोदन के लिए ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करेगा।

82. लेखापरीक्षा—(1) प्रत्येक द्वीप परिषद् का लेखा वार्षिकत: ऐसे प्राधिकार से और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए, लेखा परीक्षित किया जाएगा।

(2) यह सुनिश्चित करना उपायुक्त का उत्तरदायित्व होगा कि वार्षिक लेखापरीक्षा ऐसी रीति से कराई जाए, जो विहित की जाए।

(3) उपायुक्त, रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, किसी मद को छोड़ने के लिए आदेश कर सकेगा जो उसको विधि के प्रतिकूल प्रतीत होता है और उसको अवैध संदाय करने वाले या प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति पर अधिभारित करेगा और—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति द्वीप परिषद् का सदस्य है तो धारा 87 कि उपधारा (2) और उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगा; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति द्वीप परिषद् का सदस्य नहीं है तो व्यक्ति से स्पष्टीकरण अभिप्राप्त करेगा और ऐसे व्यक्ति को द्वीप परिषद् को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अधिभारित रकम संदाय करने का निदेश देगा और यदि रकम का संदाय विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो उपायुक्त ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उसको वसूल करवाएगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन उपायुक्त के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर सचिव, जनजातीय कल्याण को अपील कर सकेगा।

83. प्रशासन रिपोर्ट—(1) प्रत्येक द्वीप परिषद् वार्षिकत:, उपायुक्त को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन मास के भीतर पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान द्वीप परिषद् के प्रशासन की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) रिपोर्ट, मुख्य कैप्टन द्वारा तैयार की जाएगी और द्वीप परिषद् द्वारा इसके अनुमोदन के पश्चात् उस पर द्वीप परिषद् के संकल्प की प्रति के साथ उपायुक्त को अग्रेषित किया जाएगा।

84. कार्यवाही मंगाने की शक्ति—उपायुक्त या सहायक आयुक्त को निम्नलिखित मंगाने की शक्ति होगी :—

(i) द्वीप परिषद् की कार्यवाही से कोई उद्धरण या द्वीप परिषद् के कब्जे में या नियंत्रण के अधीन कोई बही, अभिलेख, पत्राचार या दस्तावेज ;

(ii) निरीक्षण या परीक्षा के प्रयोजन के लिए कोई विवरणी, योजना, प्राक्कलन, कथन, लेखा या रिपोर्ट ।

85. द्वीप परिषद् द्वारा कर्तव्य के पालन में व्यतिक्रम—यदि किसी समय उपायुक्त को यह प्रतीत होता है कि द्वीप परिषद् ने इस विनियम द्वारा उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य के पालन में जानबूझकर व्यतिक्रम किया है तो वह लिखित में आदेश द्वारा उसके कर्तव्य के पालन के लिए अवधि नियत कर सकेगा और यदि कर्तव्य का पालन ऐसी नियत अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो उपायुक्त किसी व्यक्ति को इसका पालन करने के लिए नियुक्त कर सकेगा और यह निदेश दे सकेगा कि कर्तव्य के पालन में हुआ व्यय, ऐसी अवधि के भीतर, व्यतिक्रमी, जो उपायुक्त ठीक समझे, द्वीप परिषद् द्वारा संदत्त किया जाएगा।

86. द्वीप परिषद् के आदेश या संकल्प के निष्पादन का निलंबन—(1) यदि उपायुक्त की राय में द्वीप परिषद् के किसी आदेश या संकल्प का निष्पादन या किसी बात का किया जाना जो द्वीप परिषद् द्वारा किया जाने वाला है या उसके द्वारा या उसकी ओर से किया जा रहा है, जनता को क्षति या क्षोभ कारित कर रहा है या कारित किए जाने की संभावना है या शांति का भंग करने वाला है या विधिविरुद्ध है तो वह लिखित में आदेश द्वारा निष्पादन को निलंबित कर सकेगा या उसके किए जाने का प्रतिषेध कर सकेगा।

(2) जब उपायुक्त, उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश करता है तो वह उसके द्वारा प्रभावित द्वीप परिषद् को उसको करने के लिए कारणों के कथन के साथ आदेश की प्रति तत्काल भेजेगा।

(3) उपायुक्त, तत्काल, सचिव, जनजातीय कल्याण को ऐसी परिस्थितियों की एक रिपोर्ट, जिसमें इस धारा के अधीन आदेश किया गया था, प्रस्तुत करेगा और सचिव, जनजातीय कल्याण, द्वीप परिषद् को सूचना देने और ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे, आदेश को विखंडित, उपांतरित या पुष्ट कर सकेगा।

87. हानि, अपचय या दुरुपयोजन के लिए सदस्यों का दायित्व—(1) द्वीप परिषद् का प्रत्येक सदस्य, द्वीप परिषद् के किसी धन या अन्य संपत्ति जिसका वह पक्षकार रहा है या जो उसके अवचार या सदस्य के रूप में उसके कर्त्तव्य का जानबूझकर उपेक्षा के कारण कपट के समान कारित कराया गया है या सुकर बनाया गया है, की हानि, अपचय या दुरुपयोजन के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा।

(2) यदि संबद्ध सदस्य को प्रतिकूल कारण दर्शित करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उपायुक्त का यह समाधान हो जाता है कि द्वीप परिषद् के किसी धन या अन्य संपत्ति की हानि या अपचय या दुरुपयोजन उसकी ओर से अवचार या जानबूझकर उपेक्षा का प्रत्यक्ष परिणाम है तो वह लिखित में आदेश द्वारा ऐसे सदस्य को नियत तारीख के पूर्व ऐसी हानि, अपचय या दुरुपयोजन के लिए इसकी प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित रकम का संदाय करने का निदेश देगा :

परंतु ऐसा कोई आदेश, सदस्य की सद्भावपूर्ण या तकनीकी अनियमितताओं या भूलों के लिए नहीं किया जाएगा।

(3) यदि रकम को इस प्रकार संदत्त नहीं किया जाता है तो उपायुक्त ऐसी रीति से इसकी वसूली करेगा जो विहित की जाए और इसको द्वीप परिषद् निधि में जमा करेगा।

(4) उपायुक्त का आदेश, सचिव, जनजातीय कल्याण के अपील के अधीन होगा यदि अपील आदेश की तारीख के तीस दिनों के भीतर की जाती है।

88. द्वीप परिषद् का विघटन—(1) यदि प्रशासक की राय में द्वीप परिषद् :—

(क) अपनी शक्तियों के आधिक्य में कार्य करता है या दुरुपयोग करता है; या

(ख) इस विनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने में अक्षम है या जानबूझकर और लगातार व्यतिक्रम करता है; या

(ग) इस विनियम के अधीन उद्ग्रहणीय करों के उद्ग्रहण में असफल रहता है; या

(घ) धारा 86 की उपधारा (2) के अधीन किए गए उपायुक्त के आदेश की लगातार अवज्ञा करता है,

तो प्रशासक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा द्वीप परिषद् का विघटन कर सकेगा और यह निदेश दे सकेगा कि उसको धारा 60 में उपबंधित रीति से पुनर्गठित किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश, द्वीप परिषद् को स्पष्टीकरण देने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

(3) यदि द्वीप परिषद् का विघटन उपधारा (1) के अधीन किया जाता है तो निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :—

(क) द्वीप परिषद् के सभी सदस्य आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से सदस्य नहीं रह जाएंगे;

(ख) द्वीप परिषद् की सभी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग द्वीप परिषद् की विघटन की अवधि के दौरान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जिनको इस निमित्त प्रशासक नियुक्त करे;

(ग) द्वीप परिषद् की समितियां विघटित समझी जाएंगी और समितियों के सभी सदस्य ऐसी तारीख से पद रिक्त कर देंगे।

89. द्वीप परिषदों के बीच विवाद—यदि दो या अधिक द्वीप परिषदों के बीच कोई विवाद उठता है तो यह सचिव, जनजातीय कल्याण को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका मामले में विनिश्चय अंतिम होगा।

90. प्रशासक कार्यवाहियां मंगा सकेगा—प्रशासक अपने समाधान के प्रयोजन के लिए पारित किसी आदेश की वैधता या औचित्य के संबंध में किसी अधिकारी या द्वीप परिषद् की कार्यवाहियों का अभिलेख मंगा सकेगा और परीक्षा कर सकेगा तथा आदेश का, जैसा वह ठीक समझे, पुनरीक्षण या उपांतरण कर सकेगा।

अध्याय 8

जिला योजना समिति

91. जिला योजना समिति का गठन—प्रशासक, जिले के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता के अधीन ऐसी संरचना की जिला योजना समिति गठित करेगा जो विहित की जाए और द्वीप परिषदों के मुख्य कैप्टन ऐसी समिति के पदेन सदस्य होंगे।

92. जिला योजना समिति द्वारा योजनाओं की तैयारी—जिला योजना समिति अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र के विकास के लिए जिला के सरकारी विभागों और अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय से पंचवर्षीय योजनाएं और वार्षिक योजना तैयार करेगा और जिला योजना समिति का अध्यक्ष जिला के लिए विकास योजना को सचिव, जनजातीय कल्याण को जैसी समिति द्वारा सिफारिश की गई है, अग्रेषित करेगा।

93. जिला योजना समिति द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया—जिला योजना समिति ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी जो विहित की जाए।

अध्याय 9

निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग

94. निर्वाचन आयोग—(1) अंदमान और निकोबार द्वीप के संघ राज्यक्षेत्र में ग्राम परिषदों और द्वीप परिषदों की निर्वाचक नामावलियां तैयार करने और निर्वाचन कराने का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, अंदमान और निकोबार द्वीप (पंचायत) विनियम, 1994 की धारा 185 के अधीन नियुक्त निर्वाचन आयोग में निहित होंगे तथा उस धारा के अधीन नियुक्त निर्वाचन आयोग

का, इस विनियम के प्रयोजनों के लिए निर्वाचन आयुक्त होना समझा जाएगा।

(2) प्रशासक, निर्वाचन आयुक्त द्वारा इस प्रकार अनुरोध किए जाने पर निर्वाचन आयुक्त को ऐसे कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराएगा जो उपधारा (1) के अधीन निर्वाचन आयुक्त को प्रदत्त कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

95. वित्त आयोग—(1) अंदमान और निकोबार द्वीप (पंचायत) विनियम, 1994 की धारा 186 के अधीन गठित वित्त आयोग, ग्राम परिषद्ों और द्वीप की परिषद्ों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और निम्नलिखित के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिशें करेगा:—

(क) ऐसे सिद्धांत जिन्हें निम्नलिखित शासित करना चाहिए :—

(i) करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का अवधारण जो परिषदों को समनुदेशित किया जाए या उनके द्वारा विनियोजित किया जाए ;

(ii) भारत की संचित निधि से परिषदों को अनुदान सहायता;

(ख) परिषदों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय;

(ग) परिषदों की ठोस वित्त की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग को निर्दिष्ट कोई अन्य विषय।

अध्याय 10

प्रकीर्ण

96. निर्वाचन याचिका—(1) यदि ग्राम परिषद् या द्वीप परिषद् के किसी सदस्य या संबद्ध कैप्टनों के किसी निर्वाचन की विधिमान्यता ऐसे निर्वाचन में मत देने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति द्वारा प्रश्नगत की जाती है जिससे ऐसा प्रश्न संबंधित है तो ऐसा व्यक्ति निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख़ के पश्चात् पंद्रह दिन के भीतर किसी समय ऐसे प्ररूप में, जैसा ऐसे प्रश्न के अवधारण के लिए विहित किया जाए, जिला न्यायाधीश को आवेदन कर सकेगा।

(2) प्रत्येक याचिका का विचारण, यथासंभव शीघ्र किया जाएगा और उस तारीख़ से, जिसको याचिका जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत की गई है, छह मास के भीतर विचारण समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा।

97. निर्वाचन याचिका की सुनवाई की प्रक्रिया—(1) इस विनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम द्वारा अन्यथा उपबंध के सिवाय वादों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में उपबंधित प्रक्रिया, जहां तक वह लागू हो सकेगी, जिला न्यायाधीश द्वारा निर्वाचन याचिका की सुनवाई में अपनाई जाएगी :

परंतु—

(क) दो या अधिक व्यक्ति, जिनका निर्वाचन प्रश्नगत किया गया है, उसी याचिका में प्रत्यर्थी बनाया जा सकेगा और उनके मामलों का विचारण एक ही समय में किया जाएगा और किसी दो या अधिक निर्वाचन याचिकाओं की सुनवाई एक साथ हो सकेगी, किन्तु जहां तक ऐसा संयुक्त विचारण या सुनवाई से संगत हो वहां याचिका प्रत्येक प्रत्यर्थी के विरुद्ध पृथक् याचिका समझी जाएगी ;

(ख) जिला न्यायाधीश से संपूर्ण साक्ष्य अभिलिखित करने या अभिलिखित कराने की अपेक्षा नहीं होगी किन्तु, मामले का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए अपनी राय में पर्याप्त साक्ष्य का ज्ञापन बनाएगा;

(ग) जिला न्यायाधीश, कार्रवाई के किसी प्रक्रम पर याची से किसी प्रत्यर्थी द्वारा उपगत या संभावित उपगत सभी ख़र्चों के संदाय के लिए प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकेगा ; और

(घ) जिला न्यायाधीश, किसी विवाद्यक का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए केवल ऐसे मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य, जैसा वह आवश्यक समझे, प्रस्तुत करने या प्राप्त करने की अपेक्षा करने के लिए बाध्य होगा।

(2) ख़र्चों के संदाय के लिए किसी आदेश या जिला न्यायाधीश द्वारा पारित ख़र्चों के लिए प्रतिभूति बंधपत्र की वसूली के लिए किसी आदेश का निष्पादन, ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित किया जाए।

98. जिला न्यायाधीश का निष्कर्ष—(1) यदि जिला न्यायाधीश ऐसी जांच, जैसा वह ठीक समझे, करने के पश्चात् किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिसका निर्वाचन, किसी याचिका द्वारा प्रश्नगत किया गया है, के संबंध में यह पाता है कि उसका निर्वाचन विधि-मान्य था तो याचिका ख़र्च संहित, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध ख़ारिज की जाएगी।

(2) यदि जिला न्यायाधीश, यह पाता है कि किसी व्यक्ति का निर्वाचन अविधिमान्य था तो वह या तो—

(क) किसी आकस्मिक रिक्ति का होना घोषित करेगा ; या

(ख) किसी अन्य अभ्यर्थी का सम्यक् रूप से निर्वाचित होने की घोषणा करेगा,

किसी ऐसे अनुक्रम में जो मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में अधिक समीचीन लगता है और किसी मामले में जिला न्यायाधीश स्वविवेकानुसार खर्चे अधिनिर्णीत कर सकेगा।

(3) जिला न्यायाधीश के आकस्मिक रिक्ति होने की घोषणा किए जाने की दशा में वह निर्वाचन आयोग को रिक्ति भरने के लिए कार्यवाही करने का निदेश देगा।

99. निर्वाचन का परिवर्जन—(1) धारा 98 में किसी बात के होते हुए, यदि जिला न्यायाधीश की, निर्वाचन याचिका की सुनवाई के अनुक्रम में यह राय है कि साक्ष्य से यह पता चलता है कि प्रश्नगत निर्वाचन कार्यवाहियों में भ्रष्ट पद्धतियां ऐसी सीमा तक व्याप्त है जैसा संपूर्ण निर्वाचन कार्यवाहियों को अपास्त करने के योग्य बनाता हो तो वह इस आशय का सशर्त आदेश पारित करेगा और निर्वाचित घोषित ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी को कारण बताने की मांग करते हुए उसकी सूचना देगा जिसको मामले का पहले पक्षकार नहीं बनाया गया है कि क्यों ऐसे सशर्त आदेश को अंतिम न बनाया जाए।

(2) इसके पश्चात् प्रत्येक ऐसा अभ्यर्थी उपस्थित हो सकेगा और कारण दर्शित कर सकेगा और उससे पूछे गए प्रश्न के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे साक्षी को पुनः बुलाने की मांग कर सकेगा जो मामले में उपस्थित हुआ था।

(3) जिला न्यायाधीश, इसके पश्चात् या तो सशर्त आदेश रद्द करेगा या इसे पूर्ण बनाएगा जिस दशा में वह निर्वाचन आयोग को नई निर्वाचन कार्यवाहियां करने के उपाय करने का निदेश देगा।

100. भ्रष्ट या अवैध आचरण के लिए निर्रहता—जिला न्यायाधीश किसी अभ्यर्थी को किसी भ्रष्ट आचरण करने का दोषी पाए जाने पर ग्राम साधारण निकाय का सदस्य होने या इस विनियम के अधीन कोई निर्वाचन लड़ने या सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी पद या स्थान में नियुक्त होने या उसको प्रतिधारित करने या किसी ग्राम साधारण निकाय का पांच वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जैसा जिला न्यायाधीश अवधारित करे, सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अयोग्य घोषित कर सकेगा।

101. निर्वाचन मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप का वर्जन—(1) इस विनियम में किसी बात के होते हुए भी इस विनियम के अधीन बनाए गए या बनाए जाने के लिए तात्पर्यित ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमा या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के स्थानों के आबंटन से संबंधित किसी विधि की विधिमान्यता को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(2) धारा 96, धारा 97, धारा 98, धारा 99 और धारा 100 में अन्यथा उपबंध के सिवाय, किसी सिविल न्यायालय को इस विनियम के अधीन निर्वाचनों के संचालन के संबंध में निर्वाचन आयोग या सचिव, जनजातीय कल्याण या उपायुक्त द्वारा की गई किसी कार्रवाई या किए गए किसी विनिश्चय की वैधता या विधिमान्यता को प्रश्नगत करने की अधिकारिता नहीं होगी।

102. प्रवेश करने की शक्ति—उपायुक्त या सहायक आयुक्त, ग्राम परिषद् और द्वीप परिषद् की दशा में अपने किसी अधिकारी को किसी ग्राम परिषद् या द्वीप परिषद् द्वारा अधिगृहीत किसी जंगम संपत्ति में या यथास्थिति, ऐसे ग्राम परिषद् या द्वीप परिषद् के निदेश के अधीन प्रगतिशील किसी कार्य के लिए, प्रवेश करने या निरीक्षण करने या प्रवेश करवाने या निरीक्षण करवाने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

103. परिषद् आदि के विरुद्ध कार्रवाई का वर्जन और संस्थित किए जाने से पहले पूर्व सूचना—(1) इस विनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या उपविधि के अधीन सद्भाव में की गई किसी बात की बाबत ऐसे ग्राम परिषद् या द्वीप परिषद् के निदेश के अधीन कार्य कर रहे ग्राम परिषद् या द्वीप परिषद् के किसी सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी या अभिकर्ता के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं का जाएगी।

(2) इस विनियम या उसके अधीन विरचित नियमों के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए किसी ग्राम परिषद् या द्वीप परिषद् या प्रथम कैप्टन या द्वितीय कैप्टन या मुख्य कैप्टन या उप मुख्य कैप्टन या उनके किन्हीं सदस्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों या अभिकर्ताओं के विरुद्ध जब तक ऐसे ग्राम परिषद् या द्वीप परिषद् के कार्यालय पर और ऐसे सदस्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों या अभिकर्ताओं जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी आशयित है, के निवास पर भी लिखित में भी सूचना दिए जाने या प्रदत्त किए जाने के पश्चात् अगले दो मास की समाप्ति तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और ऐसी सूचना में कार्रवाई के हेतुक, ईप्सित अनुतोष की प्रकृति, दावाकृत प्रतिकर की रकम, यदि कोई हो और व्यक्ति का नाम और निवास-स्थान जो कार्रवाई करना चाहता है।

(3) प्रत्येक ऐसी कार्रवाई वाद हेतुक के प्रोद्भवन के पश्चात् छह मास के भीतर आरंभ होगा न कि इसके पश्चात्।

104. परिषदों के सदस्य आदि का लोकसेवक होना—ग्राम परिषद् या द्वीप परिषद् का प्रत्येक सदस्य और ग्राम परिषद् या द्वीप परिषद् द्वारा पोषित या नियोजित प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थांगत लोकसेवक समझे जाएंगे।

105. सदस्य आदि का विक्रय में भाग लेने से प्रविरत रहना—ग्राम परिषद् या द्वीप परिषद् का कोई सदस्य या इस विनियम के अधीन किसी विक्रय के संबंध में किसी कर्तव्य का

पालन करते हुए उनका कोई अधिकारी या कर्मचारी प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: ऐसे विक्रय में बेची गई किसी संपत्ति में किसी हित की बोली नहीं लगाएगा या अर्जित नहीं करेगा।

106. अपराध की बाबत पुलिस की शक्ति और कर्तव्य तथा परिषदों को सहायता—प्रत्येक पुलिस अधिकारी, ग्राम परिषद् और द्वीप परिषद् को उसकी जानकारी में आए अपराध की तुरन्त सूचना देगा जो इस विनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के विरुद्ध किया गया है और ग्राम परिषद् तथा द्वीप परिषद् के सभी सदस्यों और कर्मचारियों की उनके विधिपूर्ण प्राधिकार के प्रयोग में सहायता करेगा।

107. अभिलेखों का वर्गीकरण और परिरक्षण—प्रत्येक ग्राम परिषद् और द्वीप परिषद् विहित रीति से अपने अभिलेखों का वर्गीकरण और परिरक्षण करेगी।

108. अभिलेखों का निरीक्षण और प्रतियां—प्रत्येक ग्राम परिषद् और द्वीप परिषद् किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उसको किए गए आवेदन पर अपने अभिलेखों के निरीक्षण के लिए अनुज्ञा देगा और विहित फीस के संदाय पर उसकी प्रमाणित प्रतियां देगा।

109. कठिनाइयों को दूर करना—(1) यदि इस विनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई पैदा होती है तो प्रशासक, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस विनियम के उपबंधों से असंगत ऐसे उपबंध बना सकेगा जो उसको उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परंतु ऐसा कोई आदेश इस विनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

110. नियम बनाने की शक्ति—(1) प्रशासक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस विनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे—

(क) धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन ग्राम साधारण निकाय की आस्तियों और दायित्वों के निपटान की रीति ;

(ख) ग्राम साधारण निकाय के सदस्यों की निर्वाचक नामावलियां तैयार करने की रीति और ऐसी विशिष्टियां, जो इसमें होंगी तथा वह रीति, जिसमें उसको धारा 8 के अधीन पुनरीक्षित किया जाएगा ;

(ग) धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन ग्राम साधारण निकाय के अधिवेशनों की सूचना देने की रीति;

(घ) वह रीति जिसमें महिलाओं और प्रथम कप्तान के लिए आरक्षित स्थान, निर्वाचन आयोग द्वारा धारा 11 के परन्तुक के अधीन विभिन्न ग्राम परिषदों और किसी ग्राम परिषद् के विभिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किया जाएगा ;

(ङ) धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन प्रथम कप्तान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु दी जाने वाली अपेक्षित सूचना ;

(च) वह अवधि जिसके लिए धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन द्वितीय कप्तान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु सूचना दी जानी अपेक्षित है ;

(छ) धारा 23 की उपधारा (5) के अधीन सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(ज) धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन ग्राम परिषद् के अधिवेशनों का समय और स्थान तथा ऐसे अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(झ) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन संकल्प लाने और प्रश्न पूछने की प्रक्रिया ;

(ञ) धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन ऐसे नियंत्रण और निर्बंधन, जिनके अधीन रहते हुए, ग्राम परिषद्, समितियां नियुक्त कर सकेगी ;

(ट) वे कारण जिनके लिए और वह रीति जिसमें धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन समितियां विघटित या पुनर्गठित की जा सकेंगी ;

(ठ) वे शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए प्रशासक, ग्राम परिषद् को धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन वसूलनीय भू-राजस्व और अन्य देयों का संग्रहण करने के कृत्य और कर्तव्य सौंप सकेगा ;

(ड) वह अभिरक्षा, जिसमें धारा 33 की उपधारा (3) के अधीन ग्राम परिषद् निधि रखी जाएगी ;

(ढ) वह रीति, जिसमें धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन करों और फीसों को निर्धारित तथा वसूल किया जाएगा ;

(ण) वह प्ररूप, जिसमें धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन मांग सूचना भेजी जाएगी ;

(त) वह रीति, जिसमें धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन मांग सूचना की तामील की जाएगी ;

(थ) वह प्ररूप, जिसमें धारा 41 के अधीन प्राप्तियों तथा व्ययों का लेखा रखा जाएगा ;

(द) वह समय, जब और वह रीति जिसमें धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन ग्राम परिषद् द्वारा बजट तैयार किया जाएगा ;

(ध) वह रीति, जिसमें धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन ग्राम परिषद् के लेखाओं की संपरीक्षा की जाएगी ;

(न) धारा 43 की उपधारा (4) के अधीन अधिभारित रकम की वसूली की रीति ;

(प) धारा 48 की उपधारा (3) के अधीन ग्राम परिषद् को हुई हानि की वसूली की रीति ;

(फ) वह रीति, जिसमें धारा 53 की उपधारा (3) के अधीन महिलाओं के लिए आरक्षित पदों का चक्रानुक्रम किया जाएगा ;

(ब) धारा 63 की उपधारा (1) के अधीन मुख्य कप्तान या उप मुख्य कप्तान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु सूचना ;

(भ) धारा 67 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन ऐसी अन्य शक्तियां और कृत्य ;

(म) धारा 68 की उपधारा (1) के अधीन द्वीप परिषद् के अधिवेशन का समय और स्थान तथा ऐसे अधिवेशन की प्रक्रिया;

(य) धारा 68 की उपधारा (2) के अधीन वह रीति जिसमें द्वीप परिषद् का कोई सदस्य, मुख्य कप्तान या उप मुख्य कप्तान के संबंध में संकल्प ला सकेगा और प्रश्न पूछ सकेगा

(यक) ऐसे नियंत्रण और निर्बंधन, जिनके अधीन रहते हुए, द्वीप परिषद् धारा 69 की उपधारा (1) के अधीन समितियां नियुक्त कर सकेगी;

(यख) ऐसे कारण, जिनके लिए समितियां विघटित की जा सकेंगी और ऐसी रीति, जिसमें धारा 69 की उपधारा (2) के अधीन समितियों को पुनर्गठित किया जा सकेगा ;

(यग) वह अभिरक्षा, जिसमें धारा 74 की उपधारा (3) के अधीन द्वीप परिषद् निधि रखी जाएगी ;

(यघ) वह प्रक्रिया और परिसीमाएं, जिनके अधीन रहते हुए धारा 75 की उपधारा (1) के अधीन कर, शुल्क, पथकर, उपकर और फीस का उद्ग्रहण किया जाएगा ;

(यङ) धारा 75 की उपधारा (2) के अधीन पथकर, फीस, उपकर के मापमान और उसके अधिरोपण के लिए निबंधन और शर्तें ;

(यच) वह प्ररूप, जिसमें धारा 79 की उपधारा (1) के अधीन मांग सूचना भेजी जाएगी ;

(यछ) वह रीति, जिसमें धारा 79 की उपधारा (2) के अधीन मांग सूचना की तामील की जाएगी ;

(यज) धारा 79 की उपधारा (3) के अधीन कर या फीस या किन्हीं अन्य रकमों की वसूली की रीति ;

(यझ) वह रीति, जिसमें धारा 80 के अधीन प्राप्तियों और व्ययों के लेखे रखे जाएंगे ;

(यञ) वह समय और रीति, जिसमें धारा 81 की उपधारा (1) के अधीन द्वीप परिषदें बजट तैयार करेंगी ;

(यट) धारा 81 की उपधारा (5) के अधीन अनुपूरक प्राक्कथनों की अवधि और रीति ;

(यठ) वह रीति, जिसमें धारा 82 की उपधारा (1) के अधीन द्वीप परिषदों के लेखाओं की संपरीक्षा की जाएगी ;

(यड) धारा 82 की उपधारा (3) के खंड (क) और (ख) के अधीन अधिभार की रकम की रीति और वसूली ;

(यढ) धारा 91 के अधीन जिला योजना समिति की संरचना ;

(यण) धारा 93 के अधीन जिला योजना समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ;

(यत) धारा 96 की उपधारा (1) के अधीन निर्वाचन प्रक्रिया की विधिमान्यता के संबंध में जिला न्यायाधीश को आवेदन करने के लिए प्ररूप;

(यथ) धारा 97 की उपधारा (2) के अधीन लागतों के संदाय के संबंध में जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के निष्पादन की रीति ;

(यद) वह रीति, जिसमें धारा 107 के अधीन अभिलेखों का वर्गीकरण और परिरक्षण किया जाएगा;

(यध) धारा 108 के अधीन अभिलेखों के निरीक्षण और अधिप्रमाणित प्रतियां प्रदान करने हेतु संदत्त की जाने वाली फीस।

111. नियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना—इस विनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

112. विनियम का अध्यरोही प्रभाव न रखना—जहां कहीं इस विनियम का कोई उपबंध, अंदमान और निकोबार द्वीप (आदिवासी जनजातियों का संरक्षण) विनियम, 1956 के उपबंधों के विरोध में है वहां पश्चात्वर्ती उपबंध अभिभावी होगा।

पहली अनुसूची

(धारा 18 और धारा 61 देखिए)

मैं ..... जो ..... ग्राम परिषद्/द्वीप परिषद् का सदस्य/प्रथम कप्तान/द्वितीय कप्तान/मुख्य कप्तान/उप मुख्य कप्तान निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा तथा मैं श्रद्धापूर्वक, अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का, भय या पक्षपात या दुर्भाव के बिना निर्वहन करुंगा।

दूसरी अनुसूची

[धारा 27 की उपधारा (1) देखिए]

ऐसे विषयों, जिनके संबंध में किसी ग्राम परिषद् को स्वशासी संस्था के रूप में कृत्य करने में उसको समर्थ बनाने के लिए प्राधिकार होगा।

1. स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ;

(क) घरेलू उपयोग के लिए और पशुओं हेतु जल प्रदाय ;

(ख) सार्वजनिक सड़कों, नालियों, तालाबों, टंकियों और टंकियों से भिन्न कुओं और सिंचाई प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त कुओं तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों का संन्निर्माण और सफाई ;

(ग) स्वच्छता, सफाई, न्यूसेंस का निवारण और उपशमन;

(घ) लोक स्वास्थ्य का परिरक्षण और सुधार, सार्वजनिक राहत देने के लिए औषधालयों का अनुरक्षण ;

(ङ) चाय, काफी और दूध की दुकानों का अनुज्ञप्ति द्वारा या अन्यथा विनियमन ;

(च) दहन की व्यवस्था, अनुरक्षण और उसका विनियमन ;

(छ) पशुशवों के व्यवस्थित व्ययन को सुनिश्चित करना; अदावाकृत शवों और पशुशवों के व्ययन के लिए निश्चित स्थान का उपबंध करना ;

(ज) सार्वजनिक शौचालयों का संन्निर्माण और अनुरक्षण ;

(झ) संक्रामक रोगों के प्रकोप, विस्तार और पुनरावृत्ति रोकने हेतु उपाय करना ;

(ञ) अस्वास्थ्यकर अवस्थानों का सुधार करना ;

(ट) कूड़ा-करकट के ढेर, जंगली पैदावार को हटाना, पुराने कुओं, अस्वास्थ्यकर तलाबों, कुंड़ों, खाइयों, गड्ढ़ों या अवतलों को भरना, सिंचित क्षेत्रों में जल भराव को रोकना और स्वच्छता की दशाओं के अन्य सुधार ;

(ठ) प्रसूति और बाल कल्याण ;

(ड) मानव और पशु टीकाकरण को प्रोत्साहित करना ;

(ढ) कम्पोस्ट गड्ढों की सुविधा और उनका अनुरक्षण ;

(ण) पशुओं की देखभाल को विनियमित करना और गुमराह पशुओं और कुत्तों के संबंध में आवश्यक कदम उठाना ;

(त) घृणोत्पादक या खतरनाक व्यापार या व्यवसाय का विनियमन, जांच और प्रशमन ;

(थ) सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर तराई करना ;

(द) सार्वजनिक सड़कों, स्थानों और मल नालियों की सफाई, हानिकर पेड़ पौधों को हटाना, ऐसे सभी स्थानों से, जो निजी संपत्ति नहीं है, जनसाधारण के उपभोग के लिए खुले हुए हैं, सभी लोक न्यूसेंस का प्रशमन चाहे ऐसे स्थान परिषद् में निहित हो या नहीं ;

(ध) आग बुझाना और जब आग लगे तब जीवन और संपत्ति को संरक्षित करना ;

(न) सार्वजनिक सड़कों या स्थानों और ऐसे स्थानों में, जो निजी संपत्ति नहीं है, जो जनसाधारण उपयोग के लिए खुले हुए हैं, अवरोधों और प्रक्षेपणों को हटाना, चाहे ऐसे स्थान, ग्राम परिषद् में निहित हों या नहीं ;

(प) खतरनाक भवनों या स्थानों को सुरक्षित बनाना या उन्हें हटाना ;

(फ) सार्वजनिक सड़कों, पुलियों, परिषद् सीमा-चिन्हों, बाजारों, बूचड़ख्रानों, मूत्रालयों, नालियों, मलप्रणाल, जल निकास संकर्म, मलजल संकर्म, स्नानगृह, धुलाई स्थल, पेयजल स्रोत, टंकियों, कुओं, बांधों और ऐसे ही अन्य स्थानों का संन्निर्माण, परिवर्तन और अनुरक्षण करना ;

(ब) अपर्याप्त या दूषित जल के विद्यमान प्रदाय से निवासियों के स्वास्थ्य के खतरे को रोकने के लिए उचित और पर्याप्त जल का प्रदाय या अतिरिक्त प्रदाय अभिप्राप्त करना, जब ऐसा प्रदाय या अतिरिक्त प्रदाय युक्तियुक्त लागत पर अभिप्राप्त किया जा सकता है ;

(भ) ऐसी पुलिस या गार्डों के संबंध में वेतन और आकस्मिक व्यय का संदाय करना जो ग्राम परिषदों द्वारा इस विनियम के प्रयोजनों के लिए या किसी ग्राम परिषद् संपत्ति की संरक्षा के लिए अपेक्षित हों ;

(म) ग्राम परिषद् की सीमाओं के भीतर, दुर्भिक्ष या कमी के समय निस्सहाय व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना और उनके लिए सहायता संकर्मों को स्थापित करना और उनका अनुरक्षण करना।

2. सार्वजनिक संकर्मों के क्षेत्र में—

(क) सार्वजनिक सड़कों या स्थानों और ऐसे स्थलों से, जो निजी संपत्ति नहीं है, जो जन-साधारण के उपयोग हेतु खुले हुए हैं, अवरोधों और प्रक्षेपणों का निवारण और उनको हटाना चाहे ऐसे स्थान ग्राम परिषद् में निहित या सरकार के हों, ;

(ख) सार्वजनिक सड़कों, नालियों, बन्दों और पुलों का संनिर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत, परन्तु ऐसी सड़कें, नालियां, बन्द और पुल किसी अन्य लोक प्राधिकरण में निहित न हों और यदि ऐसे निहित हैं तो ऐसे संकर्म उस प्राधिकरण की सहमति के बिना नहीं किए जाएंगे ;

(ग) ग्राम परिषद् को सौंपे गए भवनों या ग्राम परिषद् के नियंत्रणाधीन सरकारी भवनों, चरागाहों, कुन्डों और कुओं (सिंचाई कुन्डों और कुओं से भिन्न) का अनुरक्षण और उनके उपयोग का विनियमन ;

(घ) गांव की प्रकाश व्यवस्था ;

(ङ) मेलों, बाजारों और कार पार्कों का नियंत्रण ;

(च) बूचड़ख्रानों का संनिर्माण, उनका अनुरक्षण और नियंत्रण ;

(छ) बाजार स्थलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण करना और उनका अनुरक्षण और संरक्षण करना ;

(ज) सामुदायिक आस्तियों का संनिर्माण और अनुरक्षण ;

(झ) ऐसे स्नान करने और धुलाई घाटों का प्रबंध और नियंत्रण, जिनका प्रबंध किसी प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जाता है ;

(ञ) बाजारों की स्थापना और प्रबंध ;

(ट) ग्राम परिषद् के सफाई कर्मचारिवृंद और ग्राम कृत्यकारियों के लिए मकानों का संनिर्माण और उनका अनुरक्षण ;

(ठ) कांजी हाउसों की स्थापना, नियंत्रण और प्रबंध ;

(ड) नियोजन के उपबंध हेतु, विशेषकर कमी के समय, संकर्मों का स्थापन और अनुरक्षण ;

(ढ) ग्राम स्थलों का विस्तार और भवन तथा आवास स्कीमों का विनियमन ;

(ण) भांडागारों, दुकानों और ऐसे ही स्थानों हेतु भवनों का संनिर्माण और उनका अनुरक्षण;

(त) सामान्य प्रयोग के लिए और विकास क्रियाकलापों हेतु भवनों का संनिर्माण और अनुरक्षण।

3. प्राथमिक और नर्सरी शिक्षा तथा संस्कृति के क्षेत्र में—

(क) शैक्षणिक संस्थाओं का दौरा करना;

(ख) गांव में शैक्षणिक कमियों और आवश्यकताओं के बारे में संबंधित प्राधिकारियों से पूछताछ करने और उन्हें रिपोर्ट देने के लिए उपस्थिति और अन्य रजिस्टरों की जांच करना;

(ग) प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के वार्षिक बजट पर सिफारिशें देना;

(घ) ग्राम परिषद् को सौंपी गई शैक्षणिक संस्थाओं का संनिर्माण और मरम्मत संकर्म;

(ङ) छात्रों की नियमितता, शिक्षकों की उपस्थिति और विद्यालय के काम-काज पर रिपोर्टें देना।

4. आत्मरक्षा और ग्राम रक्षा के क्षेत्र में—

(क) गांव की और उनकी फसलों की पहरा और निगरानी करना तथा स्वैच्छिक संगठन या किसी अन्य प्रकार के संगठन बढ़ाना, ऐसे संगठनों को प्रोत्साहन तथा सहायता देना ;

(ख) गांव के युवकों को आत्म रक्षा और ग्राम रक्षा के प्रयोजन के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना और ऐसे प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करना जो सरकार द्वारा आयोजित की जाए ;

(ग) आग को रोकना, आग बुझाने में सहायता प्रदान करना और जब आग लग जाए तो जीवन और संपत्ति की रक्षा करना।

5. योजना और प्रशासन के क्षेत्र में—

(क) गांव के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना ;

(ख) राज्य सरकार की भूमि सुधार परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता करना ;

(ग) ग्राम के बेरोजगारों या बेरोजगार निवासियों के लिए रोजगार का उपबंध करने के साथ ग्राम का आर्थिक सर्वेक्षण करना;

(घ) बजट तैयार करना, लेखाओं का संग्रहण और अनुरक्षण, निधियों की अभिरक्षा और उपयोग, करों का निर्धारण और संग्रहण और लेखा कोड का अनुरक्षण ;

(ङ) ग्राम के किसी प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता का उपयोग करना ;

(च) ग्राम का स्वतंत्र सर्वेक्षण करना या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा किए गए ऐसे सर्वेक्षण में सहायता देना ;

(छ) ग्राम परिषद् द्वारा नियोजित किए जाने वाले कर्मचारिवृंदों की भर्ती, प्रशिक्षण और प्रबंध करना ;

(ज) पशुशाला, खलिहानों चरागाह और सामुदायिक भूमियों का नियंत्रण ;

(झ) मेलों, तीर्थों और उत्सव स्थलों का स्थापन, अनुरक्षण और विनियमन ;

(ञ) ऐसे परिवादों के संबंध में उचित प्राधिकारियों को रिपोर्ट करना जिनका ग्राम परिषद् द्वारा समाधान नहीं हुआ है ;

(ट) ग्राम परिषद् के अभिलेखों को तैयार करना, उनका अनुरक्षण और रखरखाव करना ;

(ठ) जन्म, मृत्यु और विवाहों का ऐसी रीति से और ऐसे प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण करना जो प्रशासक द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त अधिकथित किए जाएं ;

(ड) परिसरों का संख्यांकन।

6. सामुदायिक विकास के क्षेत्र में—

(क) विकलांग, निस्सहाय और रोगी की सहायता करना ;

(ख) आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में सहयोगी कार्यकलापों का आयोजन करना, उन्हें प्रोत्साहित करना और सहायता देना;

(ग) परिवार नियोजन का प्रचार करना ;

(घ) सामुदायिक संकर्मों के लिए स्वैच्छिक श्रम का आयोजन करना और ग्राम की उन्नति हेतु कार्य करना।

7. कृषि, वन संरक्षण और चरागाह भूमि के क्षेत्र में—

(क) कृषि का योजनाबद्ध सुधार ;

(ख) कृषि उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से ग्राम में खेती के न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना ;

(ग) खाद के स्त्रोतों का संरक्षण, कम्पोस्ट तैयार करना और खाद का विक्रय करना;

(घ) उन्नत बीजों का उत्पादन, उन्नत बीजों की पौधशालाएं स्थापित करना और उन्नत बीजों के उपयोग का संवर्धन कराना;

(ङ) उन्नत कृषि उपकरणों के उपयोग का संवर्धन करना और ऐसे उपकरणों को सरलता से उपलब्ध करवाना ;

(च) सहकारी कृषि का संवर्धन ;

(छ) फसल संरक्षण और फसल प्रयोग ;

(ज) लघु सिंचाई, क्षेत्रीय जल सरणियों का संनिर्माण और अनुरक्षण तथा जल वितरण, वानस्पतिक नालियों, कच्ची मिट्टी के बांधों, फिल्टर सीढ़ियों सहित खाइयों द्वारा जल निकासी लाइनों का अवचार और जल संरक्षण का सुधार करने तथा मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए अन्य उपाय ;

(झ) ग्राम वनों, चरागाहों और बगीचों की अभिवृद्धि, संरक्षण और सुधार करना ;

(ञ) फसलों की संरक्षा की दृष्टि से हानिकारक पशुओं के विरुद्ध उपाय करना।

8. पशुपालन के क्षेत्र में—

(क) पशु और पशु प्रजनन का सुधार ;

(ख) पशुधन की सामान्य देखभाल ;

(ग) पशु प्रजनन के प्रयोजनों के लिए सांड उपलब्ध करवाना और उनकी देखभाल करना ;

(घ) डेरीफार्म का संवर्धन करना।

9. ग्राम उद्योगों के क्षेत्र में—

(क) गांव के छोटे तथा ग्राम उद्योग और अन्य नियोजन क्षमता का सर्वेक्षण करना और उसके काम में लगना ;

(ख) कुटीर उद्योगों और कला तथा शिल्प के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री उपलब्ध कराना ;

(ग) कुटीर उद्योगों के लिए आधुनिक और उन्नत औजारों वाले ग्राम शिल्पियों द्वारा उत्पादन का प्रयास करना तथा उनको ऐसे औजार सरलता से उपलब्ध कराना ;

(घ) कुटीर उद्योगों और हस्तशिल्प में प्रशिक्षण के लिए कारीगरों को प्रोत्साहित करना और सहायता देना ;

(ङ) सहकारिता के आधार पर कुटीर उद्योगों के संगठन, प्रबंध और विकास के लिए उपबंध करना।

10. समाज कल्याण के क्षेत्र में—

(क) अंदमान और निकोबार द्वीप प्रशासन की नीति के अनुसार किन्हीं मादक द्रव्यों के विक्रय और उनके उपभोग को विनियमित करना ;

(ख) गांव में भूमि के अत्यसंक्रामण को रोकना और अनुसूचित जनजातियों की किसी अवैध रूप से अत्यसंक्रामण की गई भूमि को पुनः वापस दिलाने हेतु समुचित कारवाई करना ;

(ग) किसी भी नाम से ज्ञात ग्रामीण बाजारों का प्रबंध करना ;

(घ) अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने से संबंधित नियंत्रण का प्रयोग करना ;

(ङ) सभी सामाजिक सेक्टरों में संस्थाओं और कृत्यकारियों से संबंधित नियंत्रण का प्रयोग करना ;

(च) स्थानीय योजनाओं और ऐसी योजनाओं के लिए संसाधनों पर नियंत्रण रखना।

11. ग्रामों में लघु जल निकायों की योजना बनाना और प्रबंध करना।

12. धारा 34 के अधीन अनुदानों की शर्तों के अधीन रहते हुए भूमि राजस्व से संबंधित अभिलेखों को, ऐसी रीति से और ऐसे प्ररूप में रखना, जो समय-समय पर भू-राजस्व से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाए।

तीसरी अनुसूची

[धारा 71 की उपधारा (1) देखिए]

ऐसे विषय, जिनकी बाबत द्वीप परिषद् को प्राधिकार होगा जिससे वह स्वशासी संस्था के रूप में कार्य करने में समर्थ हो सके।

1. स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में—

(क) महामारी पर नियंत्रण रखना और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और अनुरक्षण करना ;

(ख) परिवार नियोजन ;

(ग) शुद्ध पेय जल की सुविधा उपलब्ध कराना ;

(घ) औषधालयों, भेषजियों, प्रसूति गृहों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का अनुरक्षण करना ;

(ङ) स्वास्थ्य और स्वच्छता के संरक्षण के लिए निम्नलिखित पद्धतियों पर राय एकत्र करना—

(i) पोषण ;

(ii) प्रसूति और बाल कल्याण ;

(iii) सांसर्गिक रोगों का नियंत्रण और उन्मूलन ;

(च) महामारी के विरुद्ध लोगों को सहायता देना और संरक्षण करना।

2. संचार के क्षेत्र में—

(क) ग्राम संपर्क सड़कों का संनिर्माण और अनुरक्षण करना ;

(ख) ग्राम पहुंच मार्ग के संनिर्माण और अनुरक्षण के लिए आवश्यक सहायता देना।

3. मिडिल और माध्यमिक शिक्षा तथा संस्कृति के क्षेत्र में—

(क) शैक्षणिक संस्थाओं का दौरा करना ;

(ख) ग्राम में शैक्षणिक कमियों और आवश्यकताओं के संबंध में जांच करने और संबंधित प्राधिकारियों को रिपोर्ट देने हेतु उपस्थिति और अन्य रजिस्टरों की जांच करना ;

(ग) मिडिल और माध्यमिक विद्यालयों के वार्षिक बजट के संबंध में सिफारिशें करना ;

(घ) ग्राम परिषद् को सौंपी गई शैक्षणिक संस्थाओं का संनिर्माण और मरम्मत ;

(ङ) छात्र, शिक्षकों की उपस्थिति में नियमितता और विद्यालय के कामकाज पर रिपोर्ट देना।

4. सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में—

लोगों में स्वयं को आत्म निर्भर बनाने, परिश्रमी और सहयोगशील बनाने के प्रति और विशेषकर निम्नलिखित हेतु नया दृष्टिकोण उत्पन्न करना—

(क) सूचना केन्द्र, सामुदायिक शिक्षा केन्द्र और मनोरंजन केन्द्र स्थापित करना और उनका अनुरक्षण करना ;

(ख) युवा क्लब, महिला क्लब, किसान संगम जैसी सामाजिक सेवाएं देने वाली संस्थाएं स्थापित करना और यदि पहले से ही स्थापित है तो ऐसी किन्हीं संस्थाओं को प्रोत्साहित करना ;

(ग) ग्राम रक्षा फसलें स्थापित करने के लिए ;

(घ) शारीरिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहन देना ;

(ङ) स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगम स्थापित करना ;

(च) ग्राम सेवकों को प्रशिक्षण देने और उनकी सेवाओं का उपभोग करना ;

(छ) बालकों के क्रियाकलापों का संवर्धन करना।

5. सामुदायिक विकास के क्षेत्र में—

(क) नियोजन और उत्पादन वृद्धि के लिए तथा ग्राम संस्थाओं के समन्वय हेतु योजना बनाना ;

(ख) पारस्परिक सहयोग के सिद्धांतों पर आधारित ग्राम समुदाय में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का प्रशिक्षण देना ;

(ग) समुदाय के फायदे के लिए गांव की अतिरिक्त ऊर्जा, संसाधनों और समय का उपयोग करना ;

(घ) प्रशासक द्वारा उसको सौंपे गए विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु उपबंध करना।

6. कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में—

(क) द्वीप में कृषि सुधार हेतु योजना बनाना;

(ख) भूमि और जल संसाधनों का उपयोग और नवीनतम अनुसंधानों के अनुसार उन्नत कृषि पद्धतियों का प्रचार करना ;

(ग) द्वीप में सिंचाई संकर्मों का संनिर्माण और अनुरक्षण करना ;

(घ) द्वीप में कृषि भूमि का पुनःसुधार और संरक्षण करना ;

(ङ) द्वीप में बीज गुणन फार्मों का अनुरक्षण करना, रजिस्ट्रीकृत बीज उत्पादकों को सहायता देना और बीजों का वितरण करना ;

(च) फलों तथा सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाना ;

(छ) खाद संसाधनों का संरक्षण, कम्पोस्ट, खाद, कार्बनिक खाद और मिश्रण तैयार करना तथा उनकी उपलब्धता सुकर बनाने की व्यवस्था करना ;

(ज) उन्नत कृषि औजारों के उपयोग का संवर्धन करना तथा उनको आसानी से उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना;

(झ) बीमारियों से फसलों, फलों, वृक्षों तथा पौधों का संरक्षण करना ;

(ञ) सिंचाई और कृषि विकास के लिए उधार तथा अन्य सुविधाएं देना ;

(ट) संनिर्माण द्वारा सिंचाई के अधीन भूमि के क्षेत्र को बढ़ाना और कुओं की मरम्मत करना तथा लघु सिंचाई संकर्म करके तथा क्षेत्रीय सरणियों का पर्यवेक्षण करके प्राइवेट जलाशय खोदना और उनकी मरम्मत करना ;

(ठ) सिंचाई स्कीमों के अधीन उपलब्ध जल का समय पर और साम्यापूर्ण वितरण तथा पूर्ण उपयोग का उपबंध करना।

7. पशुपालन के क्षेत्र में,—

(क) अभिजनन सांडों के समावेशन द्वारा पशु प्रजनन में सुधार करना ;

(ख) भटके बैलों का बन्ध्यकरण करना तथा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना करना तथा उनका अनुरक्षण करना ;

(ग) पशुओं, भेड़ों, मुर्गियों आदि की उन्नत नस्ल आरंभ करना, उसके लिए अनुदान देना और लघु प्रजनन केन्द्रों का अनुरक्षण ;

(घ) संक्रामक रोगों का नियंत्रण करना और जांच करना ;

(ङ) उन्नत घास और पशु चारे की व्यवस्था करना तथा उनके भंडारण का प्रबंध करना ;

(च) प्राथमिक उपचार केन्द्र और पशु औषधालय आरंभ करना और उनका अनुरक्षण ;

(छ) दुग्ध आपूर्ति की व्यवस्था करना ;

(ज) भटके हुए पशुओं की समस्या का समाधान करना।

8. ग्राम और लघु उद्योगों के क्षेत्र में,—

नियोजन में वृद्धि करने और लोगों के जीवन स्तर को उन्नत करने की व्यवस्था करने की दृष्टि से कुटीर ग्राम और लघु उद्योगों का संवर्धन करने तथा विशेष रूप से—

(क) उत्पादन और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना और उनका अनुरक्षण करना ;

(ख) कारीगरों के कौशल को सुधारना ;

(ग) उन्नत औजारों को लोकप्रिय बनाना ;

(घ) खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड तथा अन्य अखिल भारतीय संगमों द्वारा चलाई जा रहीं कुटीर, ग्राम और लघु उद्योगों की स्कीमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

9. सहकारिता के क्षेत्र में—

जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के विचार को संवर्धित करने तथा आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं को संगठित करने तथा उनको प्रोत्साहन देने के लिए और विशेष रूप से—

(क) उधार विक्रय, उद्योग, सिंचाई और कृषि के लिए बहुउद्देश्यीय सहकारी सोसाइटियों की स्थापना करना और उनके विकास का संवर्धन करना ; और

(ख) मितव्ययिता, लघु बचत और बीमा स्कीमों के द्वारा बचत का संवर्धन करना ;

10. महिला कल्याण के क्षेत्र में—

महिला और बाल कल्याण की स्कीमों को कार्यान्वित करना और महिला और बाल कल्याण केन्द्रों, शिक्षा केन्द्रों, शिल्प केन्द्रों तथा सिलाई केन्द्रों का अनुरक्षण करना।

11. समाज कल्याण के क्षेत्र में—

(क) ग्रामीण आवास की स्कीमों को कार्यान्वित करना ;

(ख) जर्जर भिक्षुकों का अनुरक्षण करना ;

(ग) समाज कल्याण की स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रायोजित करना तथा उनके क्रियाकलापों का समन्वय करना और उनमें सहायता प्रदान करना ;

(घ) मादक द्रव्य सेवन के प्रतिषेघ के लिए और उसके विरुद्ध प्रचार करना ।

12. अनुतोष के क्षेत्र में—

बाढ़, अग्नि, महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की दशा में लघु या बृहत स्तर पर त्वरित राहत उपलब्ध करवाना।

13. सांख्यिकी के संग्रहण के क्षेत्र में—

ऐसे आंकड़े संगृहीत करना और उनका समन्वय करना जो ग्राम परिषद् और द्वीप परिषद् द्वारा या प्रशासक द्वारा अपेक्षित हो।

14. न्यासों के क्षेत्र में—

ऐसे किसी कार्यक्रम के अग्रसरण में न्यासों का प्रबंध करना जो द्वीप परिषद् निधि से चलाए जाते हैं।

15. ग्रामीण आवास के क्षेत्र में—

ग्राम जनसंख्या के सहयोग से ग्राम स्थलों का विकास और ग्रामीण आवास की योजना बनाना।

16. सूचना के क्षेत्र में—

(क) सामुदायिक रेडियो श्रवण कार्यक्रम ;

(ख) प्रदर्शनियों का आयोजन करना ;

(ग) प्रकाशन ।

रविकुमार वर्मा,
अपर विधायी परामर्शी,
भारत सरकार